हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 जून, 2001 (प्रथम बैठक)

खण्ड–2 अंक–2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मगलवार, 12 जून, 2001 (प्रथम बैठक)

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र ान एवम उतर	(2)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे हए तारांकित प्र ान के लिखित उतर	(2)18

अतारांकित प्र ान एवम उतर	(2)27
घोशणाए	(2)29
(क) अध्यक्ष द्धारा	(2) 29
(i) सभापतियो के नामो की सूची	(2)29
(ii) याचिका समिति	(2)29
(ख) सचिव द्वारा	(2)30
राज्य पाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलो सबंधी	(2)30
तारांकित प्र ान न लगने सबंधी मामला	(2) 30
बिजैनस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपार्ट पे ा करना	(2) 35
सदन की मेज पर रखे गए पुन रखे गए कागज पत्र	(2)37
वर्श 1995–96 तथा 1996–97 के अनुदानो तथा विनियोजना से अधिक मागे प्रस्तुत करना/चर्चा तथा मतदान	(2) 39
स्थगन प्रस्तावो/ध्यानाकर्शण प्रस्तावो की सूचना	(2) 43
वाक आउटस	(2) 44

विधान कार्य	(2) 45
1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरे ान अमैडमैंट बिल, 2001	(2) 45
आ वासन प्रस्ताव की सूचना	(2)47
विधान कार्य पुनरारम्भ	(2)51
2. दि गुड कंडक्ट प्रिजनर्ज प्रोबे ानल रिलीज रिपील बिल 2001	(2)52
3. दि हरियाणा लोकल एरिया डिवैल्पमैट टैक्स (अमैडमैंट) बिल 2001	(2)54
4. दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स अमैडमैंट) बिल 2001	(2)55
5. दि पजांब न्यू कैपीटल (पेरिफेरी) कंन्ट्रोल (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 2001	(2)56

हरियाणा विधान सभा

12 जून, 2001 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवम उतर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर्ज साहेबान, अब प्र ान होगे।

Procurement of Wheat

633. Shri Nafe Singh Rathi, Shri Krishan Lal: Will the Chief Minister be pleased to state the total quantity of wheat procured by the different State Government Agenices, Central Government Agencies during the year 2011 to date; togetherwith the income accrued to the Market Committees in the State?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): श्रीमान जी, गेहू की खरीद का संस्थावार ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

						आकडे टनो मे
खाध	हैफड	एफ0सी0आइ	एग्रो	एच0डबल्यू	कुल	

विभाग		'		0सी0		
1488939	2720447	830418	679019	673755	6392578	
						8.6.2001 तक

1.4.2001 से 4.6.2001 तक की अवधि मे राज्य की मार्किट कमेटियो द्वारा गेहू की आवक से मार्किट फीस से कुल प्राप्त आय 78.08 रूपये है जबकि इस अवधि मे कुल आया 81.07 करोड रूपये प्राप्त हुई है।

चौधरी नफे सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि वर्श 1991 से लेकर वर्श 2001 तक वर्श बार अलग अलग कितनी गेहू की खरीद हुई और उससे कितनी आय हुई।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): स्पीकर साहब, यह 10 वर्शा की लम्बी चौडी लिस्ट है। मै अपने साथी को बताना चाहता हू कि वर्श 1991–92 मे 18.34 लाख मीट्रिक टन, वर्श 1992–93 मे 34.25 लाख मीट्रिक टन, वर्श 1993–94 मे 13.70 लाख मीट्रिक टन, वर्श 1994–95 मे 30.49 लाख मीट्रिक टन, वर्श 1995–96 मे 31.10 लाख मीट्रिक टन, वर्श 1996–97 मे 20.22 लाख मीट्रिक टन, वर्श 1997–98 मे 20.90 लाख मीट्रिक टन,

वर्श 1999–2000 मे 38.70 लाख मीट्रिक टन, वर्श 2000–2001 मे 44.97 लाख मीट्रिक टन, गेहू की खरीद हुई। मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि इस साल यानि 2001–2002 मे सारे रिकार्ड तोडते हुये 63.93 लाख मीट्रिक टन, गेहू की खरीद हुई।

श्री कृश्ण लालः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से पूछना चाहता हू कि इस अवधि के दौरान मार्किट कमेटी फीस कितनी प्राप्त हुई और वह किन किन मदो पर खर्च की गई? दूसरा सवाल मे यह पूछना चाहता हूं कि प्रदे ा के अन्दर जो यह गेहू की खरीद विभिन्न एजेसियो से की गई है उससे प्राप्त आमदनी से किसानो को क्या सहायता दी गई है?

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने मार्किट फीस के बारे मे पूछा है कि मार्किट फीस कितनी प्राप्त हुई है। मै बताना चाहूगा कि वर्श 1999–2000 के दौरान 105.31 करोड रूपये, वर्श 2000–2001 के दौरान 124.15 करोड रूपये व वर्श 2001–2002 के दौरान यानि 4.6.2001 तक 81.07 करोड रूपये की आय हुई है। इसके अलावा 23.02 करोड रूपये बोली के माध्यम से प्राप्त हुये है। इस प्रकार कुल 333.55 करोड रूपये की आय हुई हैं इस प्राप्त हुई रा ि ा मे से प्रदे ा के रूरल बैकग्राउंड एरिया के डिवैल्पमेंट के लिए भी रा ि ा खर्च की गई है कुछ पैसा सडको की मुरम्मत के लिये खर्च किया गया है। पहले जो सडको की जर्जर हालत थी उन सडको को ठीक करने के लिए 144.93

करोड रूपये खर्च करके 3783 किलोमीटर लम्बी सडको को रिपेयर करने का बीडा हमने उठाया है। इसमे से 100 करोड रूपये खर्च किये जा चुके है और 3186 किलोमीटर लम्बी सडको की रिपेयर कर दी गई है। ठीक इसी प्रकार से नयी सडको के निर्माण मे ग्रामीण अंचल की 4389 किलामीटर सडके मजूर की गई है जिनमे से 1896 मिलोमीटर नई सडको बना दी गई है। जो नई सडको बननी है उन पर 124 करोड रूपये खर्च हो चुके है कि हरियाणा प्रदे ा की सरकार ने किसानो को क्या सुविधाए दी है। मै अपने माननीय साथी को बताना चाहूगा कि हरियाणा प्रदे ा के किसान को अपना गेहू बेचने के लिये 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नही पडता है। हरियाणा प्रदे ा की सरकान ने 373 मण्डियो मे सब यार्ड सैटर्ज ओर इसी प्रकार से प्रत्येक सैटंर पर किसान का गेहू खरीदने का काम किया है। वहा पर गेहू खरीदने के लिए चार ऐजैसियो–हैफड, एफ0सी0आई0, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैट तथा हरियाणा वेयर हाऊसिंग कारपोरे ान ने मिल कर हरियाणा प्रदे ा के किसानो का गेहू खरीदा है। अध्यक्ष महोदय, पहले भी हमारे साथी कहते रहे है कि गेहू के रेटस कम होगे लेकिन सैट्रल एग्रीकल्चरल प्राईस कमी ान की रिपोर्ट आयी है। जिसकी वजह से एक डर था। माननीय साथी श्री मांगे राम गुप्ता जी ने पिछले सै ान मे भी यह कहा था कि ओमप्रका ा चौटाला जी ने कुस्क्षेत्र की वाजपेयी जी की रैली मे उनकी बहुत प्र ासा की फिर भी किसानो के लिए कुछ नही मिला। लेकिन चौधरी ओम प्रका ा चौटाला जी की पहल पर 60 रूपये जो पहले कम होने थे वे खत्म

हुए और 30 रूपये और बढाए है। इस समय मेजे थपथपाई गई। इस तरह की सर्कुले ान दिखाने के लिए कि किसानो को क्या सुविधाए दी गई है मै यह बताना चाहूगा कि हरियाणा सरकार ने किसानो के गेहू की कीमत की पेमैट उन्हे 48 घंटे मे की है। जिला मुख्यालयो पर सूचना केन्द्र स्थापित किये गए है। इस काम को देखने के लिए आई0ए0एस0 अधिकारियो की डयूटी ओर जिम्मेदारी लगाई गई है। स्पीकर सर, जो काम विपक्ष के नेता को करना चाहिए था वह काम सदन के नेता को करना पड रहा है। सभी मण्डियो मे जा जा कर हरियाणा सरकार प्रदे ा के किसानो ने गेहू खचाखच भर दिया और हरियाणा प्रदे ा की सरकार ने किसानो का एक एक दाना खरीदा है और आज भी किसानो का गेहू खरीद रही है।

श्री धर्मबीरः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय श्री माजरा जी से एक बात पूछना चाहता हू उन्होने बताया है कि सरकार ने 6392578 मीट्रिक टन गेहू खरीदा है। स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हू कि हरियाणा प्रदे ा मे कुल कितने एकड जमीन मे गेहू पैदा किया गया है ? (विघ्न) जब हरियाणा प्रदे ा मे इतना गेहू बोया ही नही गया तो फिर वह खरीदा कैसे गया ? (विघ्न) 40 लाख एकड से ज्यादा गेहू कि पैदावार इस प्रदे ा की नही है। इसलिए हमे भाक है कि इतना गेहू पैदा नही हुआ है। सारे यू0पी0 और दूसरे प्रदे ाो से गेहू खरीदा गया है जिसकी वजह से वे यहां चक्कर

काटते है। मंत्री जी यह बताने की कृपा करे कि कितना गेहू बोया गया है और हरियाणा मे कितना गेहू पैदा हुआ है?

श्री अध्यक्षः इसके लिए आप अलग से क्वै चन दीजिए।

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, इनकी नीति दोगली है। ये लोग उस वक्त तो वह कहते थे कि गेहू की दाम घटेगे। (विघ्न एवम भाोर) चौधरी ओमप्रका ा चौटाला जी जी की अनथक मेहनत की वजह से गेहू के दाम घटने की बजाय बढ गए है। (विघ्न एवम भाोर) अध्यक्ष महोदय, इन लोगो ने ढोल पीटा कि गेहू के दाम गिरेगे परन्तु चौधरी ओमप्रका ा चोटाला की अनथक मेहनत के कारण ऐसा नही हुआ। फिर इन्होने यह ढोल पीटा कि गेहू की सरकारी खरीद बन्द हो गई है, गेहू के दाम गिरेगे। अध्यक्ष महोदय, ये लोग भाायद भूल गये है कि हरियाणा की मण्डियो मे वापिस आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, न तो अब की बार फलौर मिल मालिको ने गेहू की खरीद की है और न ही कर्मचारीयो ने होडिग की है इस वजह से किसानो ने समझा कि अब की बार हम बीच भी नही रखेगे और किसानो ने सारा का गेहू मण्डियो मे बेच दिया। सरकार की प्रक्योरमैट की अच्छी व्यवस्था होने की वजह से एक एक दाना खरीदने की वजह से यह सब हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिह हुडडाः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होने चर्चा की है कि 48 घंटे से हमने पेमैट की है। मै मंत्री

महोदय से यह कहना चाहूगा कि मै खुद मण्डिया मे गया था और वहा पर आम तोर पर सबकी यही ि ाकायत थी कि उनकी समय पर पेमैट नही हुई है। अध्यक्ष महोदय, आप चाहे तो सता पक्ष की तरफ से किसी एक मैम्बर को चुन ले और हम भी अ अपना एक निमाइंदा भेज देगे और वे दोनो किन्ही भी 10 मण्डिया मे जाकर यह देख लेगे कि पेमैट समय पर हुई कि नही। मुख्यमंत्री जीने यहां पर आ वासन दिया था कि हम किसानो के गेहू का एक एक दाना खरीद अपना गेहू बहुत ही सस्ते दामो पर बेचना पडा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो 373 परचेज सैन्टर्ज बताए है तो मै इस बारे मे इनसे यह जानना चाहूंगा कि उन सैन्टर्ज मे से अब कितने सैन्टर्ज गेहूं परचेज कर रहे है और कितने गेहूं परचेज नही कर रहे है।

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, इन्होने जो कहा है कि किसानो ने कम रेट पर गेहू बेचा है, इनकी यह बात बिल्कुल निराधार है क्योकि पडौसी सूबो के किसान भी हरियाणा मे गेहू बेचने के लिए आए है। यह इसलिए है क्योंकि इस पर कोई पाबन्दी नही है। जहां तक इन्होने मंडियो मे जाने की बात की है तो ये किसी भी मण्डी मे नही गए है, ये तो रैली कर रहे थे। ये जंहा भी गए होगे नह जाने इनको कौन मिल गया होगा ओर उसने यह बात कह दी होगी। अध्यक्ष महेादय, हरियाणा प्रदे ा मे बकाया रा ि ा की कोई कम्पलेंट नही है सभी को पेमैट हो गई है।

श्री मागे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल के जवाब मे कहा है कि इस बार रिकार्ड तोड गेहू परचेज की गई है। यह बात ठीक है कि इस बार रिकार्ड तोड गेहू की परचेज की गई हैं यह कैसे हुई है यह मै आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूगा। इस बार किसान की मांग थी कि गेहूं को 700 रूपये प्रति क्विंटल के दाम पर वे बेचेगे अगर यह दाम नही मिलेगा तो वे गेंहू मण्डियो मे नही लेकर जाएगे, अपना एक दाना भी नही बेचेगे। इन्होने यह बात फेला दी कि गेहूं के पर क्विंटल के दाम मे 60 रूपये की कमी की जाएगी। इस बात को सुनकर किसान को चिन्ता पड गई। इन्होने 100 रूपये प्रति क्विटंल करने की बजाए मुख्यमंत्री जी कै प्रयास से 30 रूपये प्रति क्विंटल बढा दिए और किसान को सैटीफाईड कर दिया। यह बात ठीक है कि इन्होने रिकार्ड तोड परचेज तो कर दी लेकिन मै मुख्यमत्री जी को बताना चाहूगा कि इन्होने यह जो गेहूं की परचेज की है यह स्टेट गवर्नमैंट के बिहाफ पर नही की है यह परचेज तो सैट्रल गवनमैट के बिहाफ पर की है। अध्यक्ष महोदय, सैट्रल गवनमैट का जो एफ0आई0 डिपार्टमैंट है वह इस बात पर अडा हुआ है कि स्टेट गवर्नमैंट ने जो गेहू परचेज की है यह ठीक तरीके से परचेज नही की है। क्या इस बारे मे मुख्यमंत्री जी कलीयर करेगे कि यह जो गेहू कि परचेज रिकार्ड तोड की गई है, अगर सैट्रल गवनमैट ने इसको नही उठाया तो स्टेट गवर्नमैट को सात सौ करोड रूपये का नुकसान हो जाएगा। आज ये मार्किट कमेटियो द्वारा गेहू की आवक से मार्किट फीस से आमदनी 78 करोड रूपये दिख रहे है

वह कही नही दिखायी देगी। इसमे बहुत बडा घपला हुआ है। आज ये हरियाणा के लोगो को यह हमे खुशी करना तो चाहे रहे है लेनिक इसमे 700 करोड रूपये का नुकसान हुआ है।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह बडा अहम प्रश्न है और इस प्रश्न के साथ बहुत सी बाते जुडी हुई है। गेहू इतना क्यो पैदा हुआ, गेहू के ज्यादा दाम कैसे मिल, गेहू मंडियो मे ज्यादा आने की वजह से सरकार का रैवेन्यू कैसे बढा और उस बढे हुये पैसा से विकास के कामो को कैसे गति मिली, यह देखने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर बडी हैरानी होती है कि मांगेराम जी जैसे सम्मानित सदस्य इस किस्म की बात कर रहे है । ये बहुत ही उच्च पदो पर रहे है और काफी लम्बे समय से इस सदन के मैम्बर भी रहे है। जब ये पहले कांग्रेस की सरकार के वक्त विधायक थे ओर उस समय जब चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे तब गेहू के क्या भाव थे ?

श्री मागे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे नही बल्कि आज भी है।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अब तो गुप्ता जी घी की मन मे ही ले जाइये। अध्यक्ष महोदय, जिस जगह की ये बात कर रहे है मै तो उसी जगह पर खडा हू। चौधरी बसी लाल जी की काग्रेस की सरकार के समय गेहू के दाम एक रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढते थे। इस तरह से किसानो को अपमानित किया

जाता था और जब किसान उस बात को लेकर अपना ऐजीटे ान करते थे तो उस वक्त इनकी सरकार द्वारा उनको जेलो मे बन्द किया जाता था। इसी तरह से इनकी सरकार के वक्त मे गन्ने के भाव पचास पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से बढते थे और जब किसान अपनी बात कहते थे तो उन पर घोडे दौडाए जाते थे एवम ठंडे पानी के फववारे फैके जाते थै। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब भी विपक्ष की सरकार केन्द्र मे आयी चाहे वह देवीगोडा प्रधानमंत्री हो या चाहे अटल बिहारी वाजपेय जी प्रधानमंत्री हो, गेहू के दाम 90 और 95 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढे है। लेनिक फिर भी आप लोग भाोर मचा रहै है। यह तो आप सभी को मान कर चलना चाहिये कि पिछले दो सालो मे भंयकर सूखे की स्थिति थी लेकिन हमने अपने समिति साधनो का फिर भी सदुपयोग किया है। आप इस बात को क्यो नही मानकर चलते कि अगर गेहू की ज्यादा पैदावार हुई तो इसका मतलब गेहू की ज्यादा बिजाई हुई है। अभी धर्मबीर जी बात कर रहे थे लेकिन ये भिवानी की मंडी के बारे मे भी बताए कि वहा की पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है ? राजस्थान इनके साथ लगता हुआ है। मै इनको बताना चाहूगा कि राजस्थान मे तो घास भी नही उगती फिर गेहू कहा से पैदा होगी ? अध्यक्ष महोदय, मे इनको बताना चाहूगा कि इनकी सरकार ने उस समय बीस लाख टन गेहू खरीदा था लेकिन हमारी सरकार के वक्त मे यह 63 लाख 92 हजार टन खरीदा गया है। ये कह रहे है कि गेहू कि खरीद बन्द हो गयी है लेकिन मै इनको बताना चाहूगा कि यह बिल्कुल निराधार बात है,

बेसलैस बात है। आज भी मडियो मे गेहू की खरीद की जा रही है। हमने किसानो से गेहू खरीदा है। अगर यह अदे ाा हो गया कि वह गेहू व्यापारी का है ओर वह बाहर से खरीदकर लाया जा रहा है तो उसकी सरकार पहले जांच करती है। अध्यक्ष महोदय, मै सदन को बताना चाहूगा कि हमने तो किसानो का रेन टच गेहू भी खरीदा है, एक एक भीगा हुआ दाना खरीदा है। इन्होने यह भी कहा कि जिन लोगो ने हमे यहां पर चुनकर भेजा है अगर उनके लिये इससे ज्यादा नुकसान सरकार को उठाना पडा तो वह भी हम बर्दा त करैगे। हम किसानो के हित चिन्तक है। किसानो ने इस दे ा मे अपनी मेहनत से गेहू पैदावार किया है। आपकी सरकार के वक्त मे तो कटोरा लेकर दूसरो दे ाो मे भीख मांगा करते थे। आपको तो उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होने आज सरकार के गोदामो को गेहू से भर दिया है। आज सरकार के गोदामो मे गेहू सड रहा है और सकरार के गोदामो को गेहू से भर दिया है। आज सरकार के गोदामो मे गेहू सड रहा है और सरकार के सामने दिक्कत है कि इसका कैसे उपयोग किया जाए। हमने गेहू का ज्यादा उत्पादन बढाया है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष मडियो मे उंगली कटवाकर भाहीदो मे अपना नाम गिनाने कें लिये गए थे। मै 140 मडियो मे स्वय गया हू कि कही किसी एक भी मडी से ि ाकायत ने अपना नाम गिनाने के लिये गए थे। मै 140 मंडियो मे स्वय गया हू कही किसी एक भी मंडी से ि ाकायत आई हो तो बता दे जंहा 610 रूपये प्रति क्विटल से कम रेट पर गेहू खरीदी गई हो, वहा हम इक्वायरी कराएगे और जहां तक पेमेन्ट की

दिक्कत की बात कर रहे थे पेमेन्ट की कोई दिक्कत नही है। पेमेन्ट आसानी से मिल रही है, यह ठीक है कि गेहू का उत्पादन ज्यादा था और वह इसलिए ज्यादा था कि हमने ज्यादा मात्रा मे बिजली दी थी, ज्यादा मात्रा मे पानी दिया था, हमने उन ड्रैनो मे सिचाई का ज्यादा पानी चलाया जो ड्रैनोम फलड का पानी दरिया मे डालने का काम करती है। अब जेठ का महीना है उसके बावजूद कही से एक भी ि ाकायत आई हो कि बिजली या पानी का अभाव रहा हो तो ये बताए ? आपको सरकार की उपलब्धि की दाद देनी चाहिए। केन्द्र मे हमारी सरकार है और वहा हमने निवेदन करके गेहू के दाम बढाए और किसान का गेहू खरीदां आपके समय मे गलत नीतियो जैसे कि मार्किट फीस बढाए जाने से व टैक्स बढाये जाने से हमारे यहा की मंडियो का गेहू दसरे प्रदे ाो की मंडियो मे जाकर बिकता था, जितनी भी मिडिया थी वह उजड गई थी अब उन मडियो मे गेहू के ढेर लगे है और उल्टे बांस बरेली को गए है दिल्ली उत्पादन हरियाणा मे आकर बिका है, उसका कारण यह है कि हमने टैक्सो मे सुविधा दी है और इंस्पैक्ट्री राज को खत्म किया है। भाव ज्यादा तय किये है। पहले लोग स्टाक किया करते थे लेकिन अब उनके दिमाग मे यह बात आ गई है कि इससे ज्यादा भाव मिल नही सकते। हमारी सरकार की नीति है कि हम किसान को ज्यादा दाम देते है और उपभोक्ता को सब सीडाइज्ड रेट पर देते है। मोल लेकर खाने वालो की सोच थी चार रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगा तक खरीदेगे। हमारे नीतिगत निर्णय का परिणाम है इसकी वजह से रेवेन्यू 333 करोउ रूपये के

लगभग गेहू के मामले मे आया है इससे विकास के कामो को गति मिलेगी। पहले आप लोग कहा करते थे कि ये घोशणा मत्री है तो मै कहना चाहता हू कि घोशणाएं इस तरह से ही पूरी होती है। स्टैट के हित मे हम रैवेन्यू को बढाना चाहते है। सही बात को सही मानना चाहिए, अच्छे रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। हैल्दी क्रीटीसिज्म देना चाहिए और जो बात करनी है, चर्चा करनी है इस सदन मे करें। 13 तारीख की मीटिंग आप रख रहे है उसके बजाय तो बात आपने करनी है यही करे। बाथरूम मे मत चले जाना मुझे इस बात की चितां है।

Criteria Fixed For Promotion

650. Shri Krishan Lal: Will the Minister be pleased to state-

(a) the rules/criteria fixed for the promotions to the post of Assistant Engineers from the post of Junio Engineers in H.V.P.N for degress holders.

(b) whether the seniority of Junior Engineers is counted form the date of obtaining of AME/BE Degree or from the date of joining as Junior Engineer, and

(c) whether the same rules/ceriteria are simsilar to the other Public Works Department of the State Government?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

क. हरियाणा विधुत प्रसारण निगम मे सहायक अभियन्ताओ/ए0ई0 के 35 प्रति ात पद पात्र कनिश्ठ अभियन्ता 1/जे0ई0–1/तथा कनिश्ठ अभियन्ता 1/जे0ई0 मे से पदोत्रति करके भरे जाते है। इसलिए डिग्री तथा डिप्लोमो होल्डर कनिश्ठ अभियन्ता पदोत्रति कोटा के विरूद्ध सहायक अभियन्ता के पद पर निम्नलिखित तरीके से पदोत्रत किये जाते है:–

1. 22–1/2 प्रति ात पद, उन कनिश्ठ अभियन्ताओ–1 मे से भरे जाते है जिनके पास न्यूनतम योग्यता 3 वर्श का डिप्लोमा हो तथा कनिश्ठ अभियन्ता 1 के पद पर 5 वर्शो का अनुभव हो।

2. 12–1/2 प्रति ात पद, उन कनिश्ठ अभियन्ताओ–1 मे से भरे जाते है जिनके पास ए0एम0 आई0ई0/बी0ई0 की डिग्री हो तथा कनिश्ठ अभियन्ता के पद पर 5 वर्शो का अनुभव हो।

(ख) सहायक अभियन्ता के पद पर पदोत्रति के उददे ाय के लिए उन कनिश्ठ अभियन्ता 1 को वरिश्ठता में भाामिल किया जाता है जो दोनो योग्यताए पूरी करते हो अर्थात पदोत्रति पर विचार करने की तिथि पर कनिश्ठ अभियन्ता 1 के रूप मे 5 वर्शा का अनुभव तथा डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो। ए0एम0आई0ई0/इन्जीनियरिंग स्नातक योग्यता रखने वाले कनिश्ठ अभियन्ताओ के मामले मे पद नाम सूची उन तिथि से, जिस तिथि से कर्मचारी कनिश्ठ अभियन्ता के रूप मे 5 वर्शा के अनुभव तथा

ए0एम0आई0ई0/इन्जीनियरिंग स्नातक की डिग्री ये दोनो भार्ते पूरा करने वाले कनिश्ठ अभियन्ताओ मे से पदौत्रत किये जाते है इनकी रैकिंग लिस्ट/पद नाम सूची/अधिसूचना प्रत्येक वर्श प्रायः प्रथम जनवरी को तैयार की जाती है।

कनिश्ठ अभियन्ता 1 या कनिश्ठ अभियन्ता के रूप मे उनकी वरिश्ठता उस पद पर उनकी ज्वाइनिंग करने की तिथि से गिनी जाती है।

(ग) राज्य सरकार मे पब्लिक वर्क्स विभाग हरियाणा विधुत प्रसारण निगम के उपरोक्त नियमो तथा नार्म्ज/मानदण्ड/ से भिन्न नियम तथा मानदण्ड रखता है।

श्री कृश्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मैने अपने मेन सवाल मे डिप्लोमा होल्डर कनिश्ठ अभियताओ की प्रमो ान पांलि ाी के बारे मे पूछा था। 1977 मे चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय मार्किटिंग बोर्ड पी0डबलयू0डी0, बी0 एण्ड आर0, एम आई0टी0 सी0, इरीगे ान, हुडा, हाउसिंग बोर्ड, एच0एस0 ई0बी0 सभी मे सेम पालिसी थी कोई भी ए0एम0आई0ई0बी0ई0 करके आता है तो उसको डेट आफ ज्वाइनिंग के हिसार से प्रमो ान दी जाती थी। लेकिन 1993 के अन्दर उस पोलिसी मे बोर्ड लेवल पर अमेडमैंट की गई है कि जो डिग्री लेकर आता है और जूनियर है परन्तु उसकी डिग्री पास करने की तिथि से उसको प्रमो ान दे दिया गया है। मै चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदय से यह

जानना चाहता हू कि जब दूसरे विभागो मे आज भी पहले की पोलिसी लागू है तो एच0बी.पी0एन0 मे उस पोलिसी को बंद क्यो किया गया है ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): स्पीकर साहब, यह ठीक है कि 1977 मै इसट्रक ांज जारी की गई थी उस इसट्रक ांज पर कार्यवाही भी भाुरू हो गई थी और प्रोम ान भी हो गये थे। परन्तु उस समय रूलज मे अमेडमेंट नही की गई थी और न ही रूल्ज को बदला गया था और इसट्रक ांज जारी होने के बावजूद पहले जो रूल्ज थे वे भी साथ साथ चलते रहे और उन पर आधारित प्रोमो ान भी होती रही और उसके बाद कुछ अधिकारी कोर्ट मे भी चले गये जब कोर्ट मे मामला गया तो उस समय यह बात नोटिस मे आई कि इसट्रक ांज जारी की गई है परन्तु रूल्ज पहले वाले ही है। इस बात को मध्य नजर रखते हुये सरकार ने यह निर्णय किया कि इसट्रक ांज को रूल्ज से ऊपर नही माना जा सकता इसलिये पहले के रूल्ज को विदड्रा किया गया जिसके कारण कई अधिकारी इफैक्ट हुये क्योकि उनका पहले प्रोमो ान हुआ था परन्तु बाद मे उनका डिमो ान हो गया और वे कोर्ट मे चले गये। कोर्ट ने भी इस बाद को माना कि रूल्ज इसट्रक ांज से सुपीरियर है। इसलिये रूल्ज को मान्यता दी गई। जिसकी वजह से बिजली बोर्ड मे 35 प्रति ात सीटे बाई प्रोमो ान और 65 प्रति ात सीटे डायरेक्ट रिक्रूटमैंट से भर जाती है। यह ठीक है कि डिपार्टमैट मे सीनियरिटी इंटैक्ट की जाती है परन्तु

एच0वी0पी0एन0 मे डिग्री पास होने की तिथि से माना जाता है। अगर कोई अधिकार डिग्री पास करने के बाद और दूसरी एसेंसियल क्वालिफिके ान पूरी कर लेता है तो उसको प्रोमो ान दे दिया जाता है। 1993 से पहले दूसरे विभाग के और बिजली बोर्ड के रूल्ज समान थे। 1993 मे बिजली बोर्ड के नये रूल्ज बना दिये गये है और अब नये रूल्ज को फोलो किया जाता है।

श्री कृश्ण लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदय ने बताया कि 1977 मे सर्विस रूल्ज बराबर थे परन्तु 1993 मे बिजली बोर्ड के रूल्ज मे एमेडमेंट की गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक ांज जारी की है कि डेट आफ ज्वायनिंग को मुख्य मानकर कोई प्रोमो ान की जाये न कि डिग्री पास करने की तिथि को मान कर प्रोमो ान दीजावे। जैसे ''ए'' अधिकारी सीनियरर है परन्तु ''बी'' अधिकारी से पहले उससे डिग्री पास कर ली है तो ''बी'' अधिकारी को प्रोमो ान दे दिया जाता है इस तरह जुनियर अधिकारी की तो प्रोमो ान कर दी जाती है और सीनियर अधिकारी उससे पीछे रह जाता है परन्तु दूसरे विभागो मे आज भी पहले के रूल्ज लागू हो रहे है इसलिए मै चाहता हू कि इस मामले को एग्जामिन करके फिर से इस पर विचार किया जाये।

श्री रामपाल माजराः स्पीकर साहब, जब इसट्रक ांज जारी की थी और उससे जो लोग इफैक्ट हुये थे उनमे से एक अधिकारी श्री पृथ्वी सिंह ने कोर्ट मे केस दायर किया था और

माननीय न्यायाधी ा महोदय ने यह फेसला दिया था कि इसट्रक ांज जारी की गई है वे रूल्ज से ऊपर नही हो सकती। इसलिये माननीय सदस्य के दिमाग मे इस तरह की कोई बात है तो वे हमारे नोटिस मे लाये हम उसको एग्जामिन करवा देगे अगर उस अधिकारी का राईट बनता होगा तो उसको जरूर मिलेगा।

Consoldation

673. Shri Balbir Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govenment to conduct the consoldiation of land holding of the following village of Meham Constituency:-

1. Nidana;

2. Bhaini Chanderpal;

3. Girawar;

4. Mokhra Kheri Roj; and

(b) if so, the time by which it is likely to be conducted?

नगर एवम ग्राम आयेजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह):

(क) जीं हां।

(ख) गांव निदाना, भैणी चन्द्रपाल तथा गिरवाड मे चकबन्दी कार्य चल रहा है। गांव मोखरा खेडी रोझ मे चकबन्दी की जानी सम्भावित है। इन गावो मे चकबन्दी का कार्य जून, 2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि जो इस प्र ान मे गावो के नाम दिये गये है उन गावो मे चकबंदी का काम कब तक पूराकर लिया जायेगा। मोखरा खेडी रोझ गाव मे चकबंदी का काम कब भ्रारू किया जायेगा ?

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर सर, मैने आपके पास माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी दी है कि मोखरा खेडी रोझ गांव को छोडकर बाकी गावो का चकबंदी का काम जून, 2002 तक पूरा कर लिया जायेगा। मोखरा खेडी रोझ गाव की चकंबदी के लिये कुछ अडचने आ रही है उन दिक्कतो को दूर करवाकर चंकबंदी का काम भ्रारू कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मोखरा खेडी **10.00 बजे** रोझ गांव मे चकबन्दी पहली बार 1990 मे प्रकाि ात हुई थी परन्तु भू स्वामियो द्वारा चकबन्दी कार्य मे सहयोग नही दिया क्योकि वे चाहते थे कि उनका मोखरा तथा खेडी रोझ गांव दो अलग अलग गावं है। उनको पहले हदबस्त नम्बर दिये जाए एक तो मोखरा खेडी और दूसरा मोखरा रोझ, इन गावो मे पहले हदबस्त का काम पूरा कर दिया जाए उसके बाद हम चकबन्दी के कार्य मे सहयोग देगे। ऐसा वहा के लोगो का

सुझाव था। अब मोखरा खेडी और मोखरा रोझ दो अलग अलग गांव बना दिये है, दो हदबस्त बना दिये गये है, इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन गावो को हदबस्त नम्बर देने के लिए मामला उपायुक्त रोहतक के पास विचाराधीन है। अलग अलग हदबस्त जारी होते ही इन गावो मे चकबन्दी का कार्य भाुरू हो जायेगा।

चौ0 जगजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हू कि दादरी तहसील के कुछ गांव ऐसे है जंहा आज तक चकबन्दी का काम नही हो पा रहा है। पैतावास खुर्द और छपार दो बडे बडे गांव है इन गावो मे बहुत बडा रकबा है और इन गावो मे चकबन्दी न होने की वजह से रोजना लडाई झगडे होते है। अध्यक्ष महोदय, मै आपको माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूगा कि इन गावो मे चकबन्दी करवाने का फेसला कब तक लेगे।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से बताना चाहूगा कि हरियाणा प्रदे ा मे 89 गांव ऐसे है जो चकबन्दी की सुविधा से वचित रह गए है। इन 89 गावो मे जहां जहा कार्य भाुरू हो रहा है उसमे भिवानी भी है और भिवानी की दादरी तहसील भी है। इसके इलावा 89 मे से 22 गावं ऐसे सहयोग नही दे रहे। बार बार चकबन्दी का कार्य पूर्ण होने के बाद ये लोग न्यायालय मे चले जाते है और कब्जे ग्रहण करने मे करने

मे सहयोग नही देते। इस प्रकार 89 मे से 22 गांव ऐसे है जंहा चकबन्दी का कार्य पूर्ण नही हो पाया है।

चौ0 नफे सिहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूगा कि बहादुगढ उप मण्डल मे कई बडे बडे गावो ऐसे है जंहा चकबन्दी का कार्य नही हुआ है जैसे छारा, मोडौठी और आसोदा। क्या सरकार इन गावो मे चकबन्दी करवाने के बारे मे विचार करेगी।

श्री धीरपाल सिहः अध्यक्ष महोदय, जिल झज्जर के 8 गावो ऐसे है जंहा चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है जैसे छारा, मोडौठी, बाडसा, टोड्रान, बराही खेडी, मोहम्मदपूर माजरा, कलोई। छारा गांव मे चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है, माडौठी गाव जो माननीय विधायक जी के हल्के मे आता है, मे भी चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है, इसी तरह से बाडसा मे भी चकबन्दी की स्कीम चल रही है। चूकि स्टाफ की अभाव है, इन 89 गावो मे से 35 गावो को छोडकर 54 के करीब गावो मे चकबन्दी का कार्य चल रहा है। उपरोक्त झज्जर के 8 गावो मे से खेडी को छोडकर बाकी सभी गावो के लिये ओमप्रका चौटाला जी की सरकार के निर्दे ा है कि जल्दी से जल्दी चकबन्दी का कार्य पूर्ण कर दिया जाए। खेडी गांव मे क्योकि जोतो का विभाजन होना है इसलिए वहा यह कार्य पूर्ण होकने के बाद चकबन्दी के कार्य को टेक अप करेगे।

तारकिंत प्र ान सख्यां 648

(इस समय माननीय सदस्य श्री तेजवीर सिंह सदन मे उपस्थित नही थे इसलिये यह प्र ा नही पूछा गया।)

Creation of a Division of Electrictiy Board

668. Shri Amar Singh Dhanday: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any prposal under consideration of the Government to creat a Division of Electrictiy Board in Guhla; and

(b) if so, the time by which, it is likely to be created ?

मुख्य मंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला):

(क एवम ख) नही, श्रीमानी जी, गुहला म एक परिचालन बिजली मंडल गठन करने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नही है।

श्री अमर सिंह ढांढे: अध्यक्ष महोदय, आदरीणय चौधरी ओमप्रका ा चौटाला जी की लोकप्रिय सरकार ने किसानो को 24 घण्टे बिजली देन का वायदा किया था उसके तहत मेरे हल्के मे एक 220 के0वी0 का सब स्टे ान और तीन 132 के0वी0 के सब स्टे ांज की मंजूरी हो चुकी है। वहां पर सब डिवीजन पहले की काम कर रही है और तीसरी सब डिवीजन सीवन है जो कैथल मे पडती है उसको कैथल से हटाकर गुहला मे जोड दिया जाए जो

कि मेरे हल्के मे पडता है। इसके लिये जो भी भार्ते बनती है वे सारी पूरी होती है अगर कोई कमी रही जाती है तो उसको पूरा करने के लिए हम तैयार है। मै चाहूगा कि सरकार इस पर गौर करे ताकि किसानो को पूरी सुविधा मिल सके।

मुख्य संसदीय सचिव श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, अमर सिंह जी गुहला मे जो बिजली बोर्ड का डिविजन बनाने की बात कर रहे है वह अपने नार्म्ज पूरे नही करता। वहां पर कुल मिलाकर 953 कनैक ान है और नार्म्ज के मुताबिक 16000 कनैक ान होने चाहिए। इसके अतिरिक्त परिचालन बिजली मंडल गठन करने के लिए 7 सब डिविजन होने चाहिएं लेकिन वहां पर 4 से 6 ही सब डिविजन है यानि की गुहला अपने नार्म्ज पूरे नही करता इसलिए वहा पर अभी परिचालन डिविजन बनाने की कोई स्कीम नही है।

Setting up of Agriuculture Based Industry at Dabwali

636. Dr. Sita Ram: Will the Chief Minister be pleased to state whehter there is any proposal under consideration of the Govenment to set up an agriculture based industry in Dabwali in near future; if os, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): हां, श्रीमानी जी। डबवाली मे 731 लाखो रूपये की लागत से एक फूड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है।

डा0 सीताराम: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूगा कि यदि डबवाली मे कृशि आधरित उधोग स्थापित करना सरकार के विचाराधीन है तो कब तक स्थापित किया जायेगा। इसके साथ साथ मै यह भी जानना चाहूगा कि इसके लगन से किसानो के क्या क्या फायदे होगे और इसके कितने लोगो को डायरैक्ट व इन डायरैक्ट रूप से रोजगार मिलेगा ?

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू): अध्यक्ष महोदय, सभी को मालूम है कि हमारे दे ा मे अनाज का भण्डार बहुत ज्यादा है और अनाज को सभांल कर रखने मे बहुत कठिनाई आ रही है। अनाज के भण्डारण के लिये हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड अभी 60 भौलटर भी बनाये है। केन्द्र मे कांग्रेस की सरकार ने डबलयू0टी0ओ0 पर हस्ताक्षर करते समय न तो स्टेटस के मुख्यमंत्रियो से विचार विर्म ा किया और न ही विप़क्ष के नेता से विचार विर्म ा किया। उन्होने अपनी मर्जी से डब्लयू0टी0 ओ0 पर हस्ताक्षर कर लिये और किसानो की तरफ ध्यान नही दिया। लेकिन हमारे माननीय प्रधान मंत्री वाजपेयी जी ने उस समय डब्लयू0टी0 ओ0 पर कांग्रेस द्वारा किये गये हस्ताक्षर से किसानो पर जो भार पडा उसका मुकाबला करने के लिये सभी स्टेटस के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और विचार विर्म ा किया कि किसानो पर से वह भार कैसे कम किया जाये, यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है इसके लिए मै उनका धन्यवाद भी करता हू। जंहा तक मेरे साथी

ने डबवाली मे कृशि आधारित उधोग लगाने के बारे मे सवाल किया है, इस बारे मे मै बताना चाहूगा कि कुछ समय पहले भारत के कृशि मंत्री श्री निती ा कुमार जी हिसार मे आये थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानो की समस्याओ का जिकर उनके सामने किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा था कि जब फूड पार्क, प्रौसैसिंग प्लांट नही बनाये जायेगे तब तक किसानो की हालत नही सुधेरगी। मै निती ा कुमार जी का धन्यवादी हूं कि मुख्यमंत्री जी की बात को उन्होनने उसी समय मान लिया और उन्होने हरियाणा मे चार फूड पार्क बनवाने का वायदा किया। इन चार प्लांटो पर लगभग 7.31 करोड रूपये का खर्चा आयेगा जिनमे से 4 करोड रूपये केन्द्र सरकार देगी और 3. 31 करोड रूपये हरियाणा सरकार लगायेगी। 15.5.2001 को इस बारे मे प्रपोजल बना ली गयी है और एक प्लांट डबवाली जिला सिरसा मे, एक साहा जिला अम्बाला मे, एक झज्जर मे ओर एक प्लांट नरवाना मे जिला जीन्द मे लगाये जायेगे। इन प्लांटस को जल्दी से जल्दी लगाने जायेगा और इनके लगने से प्रदे ा के किसानो को अधिक से अधिक लाभ होगा।

डा0 सीता रामः आदरीणय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि इस उधोग के लगने से वहा के एरिया के कितने लोगो को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल पाएगा? कृपया मंत्री महोदय स्पश्ट करने का कश्ट करे।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हू कि फूड पार्क संबंधी उधोग का विस्तृत वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है फल एवम सब्जी, दूध एवम दूध उत्पादन, अनाज प्रसस्करण, पौधारोपण, मांस एवम मुर्गी पालन उधोग, उपभोक्ता उधोग, मछली पालन आदि। जो लोग खेती संबधी काम करते है उन सभी को इन सब चीजो से फायदा होगा।

Opening of PHCs

682. Shri Bhagwan Sahai Rawat: Will the Minister of State for Health be pleased to state, whether, there is any proposal under conisderation of the Governmnet to open PHCs at Uttawar, Nagal Jat and Aurangabad in Hathin constituency?

स्वास्थय राज्य मंत्री (डा0 एल0एल0 रंगा): जी नही। उटायड, नागंल जाट तथा औरगाबांद मे पहले से ही प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र कार्यरत है। इन स्थानो पर भवनो के निर्माण हेतू कार्यवाही विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य से पूछे है कि क्या उटायड, नागंल जाट तथा औरगंबाद मे प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस सबंध मे मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूगा कि उटावड मे पहले ही 1988 मे पी0एच0सी0 चल रही है। नांगल जाट मे

1985 से पी0एच0सी0 चल रही है और औरगांबाद मे 1958 से पी0एच0सी0 काम रही है।

श्री भगवान सहाय राक्तः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान मे लाना चाहूगा कि उटायड, नागंल जाट तथा औरगंबाद मे अभी भवन नही है। ये प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र चौपाल या छोटे कमरे मे चल रहे है। इसलिये क्या मंत्री महोदय बताएगे कि इन प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रो के लिए भवनो की क्या वस्तुस्थिति है और कब तक इन भवनो के निर्माण का काम पूरा हो जायेगा? इसके अलावा 1.6.2001 को इन प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र मे स्टाफ की क्या पोजी ान है, मंत्री महोदय यह भी बताने का कश्ट करे।

डा0 एम0एम0 रंगाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूगा कि उटावड मे पी0एच0सी0 कोओपरेटिव बैक की बिल्डिंग मे चल रही है। जंहा तक इस पी0एच0सी0 के भवन निर्माण की बात है, हमने ग्राम पंचायत को भूमि देने के लिये लिखा था। नोर्म्ज के हिसाब से ढाई एकड जमीन की रिक्वायरमैट है परन्तु ग्राम पचायंत ने अभी तक 1 कनाल 12 मरले भूमि दी है। हमने उनको लिखा है कि वे भूमि को पूरा कर के दे ताकि भवन निर्माण के लिये आगे की कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जा सके। इसी प्रकार नांगल जाट गांव मे भी 1985 से पी0एच0सी0 चल रही है। इस प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र के भवन निर्माण के लिये जितनी भूमि चाहिए थी वह ग्राम पचायत ने

दे दी है और यह भूमि स्वास्थय विभाग के नाम हो गई है। इस प्रस्ताव को ध्यान मे रखते हुये हमने इस भवन निर्माण के लिए 31 लाख 58 हजार रूपये इयर मार्क भी किये हुए है। तथा डिजाइन वगैरहा बनाने के लिए भी कह दिया है। इस भवन का निर्माण कार्य इस सत्र के अन्दर ही जल्दी से जल्दी करवा देगे। औरगाबाद की पी0एच0सी0 ज्वाइंट पाजब के टाइम से ही 1958 से काम कर रही है। इस पी0एच0सी0 के भवन निर्माण के लिये जमीने स्थानातरित 1992 मे हो चुकी है और उसके बाद हमने डिजाइन वगैरहा तैयार करने के लिए लिखा है। हमने इसके लिये प्री प्लानिंग पैसा रखा हुआ है। जैसे ही डिजाइन तैयार होकर आ जाएगा हम उसकी मजूंरी लेकन बजट एलोके ान करवाकर तत्त्काल निर्माण कार्य करवा देगे। जंहा तक सम्मानित सदस्य को बताना चाहूगा कि इन तीनो प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रो मे एक एक डाक्टर है तथा 4–5 दिन पहले एक एक डाक्टर और डेपुटे ान पर भेज दिया गया है और आने वाले सम मे उन्हे रैगुलाइज करके स्टाफ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा।

श्री कृश्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 मे प्रमोट करने के लिये क्या क्राइटेरिया है ? मेरे हल्के के अन्दर मतलौडा कस्बा है जो कि ब्लाक हैडक्वार्टर है। क्या मंत्री महोदय कोई सर्वे वगैरह करवाकर वंहा की पी0एच0सी0

को सी0एच0सी0 मे प्रोमोट करने के प्रस्ताव पर कोई विचार करेगे ? अगर इसे प्रोमोट करेगे तो कब तक ?

ड0 एम0एल0 रंगाः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय साथी को पी0एच0सी0 से सी0एच0पी0 को बदलने के बारे मे पूछा है। मै इनको बताना चाहूगा कि सी0एच0सी0 बनाये जाने के लिए वहा की आबादी 30 हजार की होनी चाहिए। अभी जनगणना हुई है। भारत सरकारर ने जो जनगणना करायी है उसकी रिपोर्ट आने पर यदि वहा की आबादी 30 हजार की होगी तो उसको सी0एच0सी0 मे कवर के बारे मे इनके प्रस्ताव पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री राम बीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पटौदी के अन्दर सी0एच0सी0 की बिल्डिंग की बहुत जर्जर हालत है। मैने वहां पर नई बिल्डिंग बनाये जाने के बारे मे पहले भी अनुरोध किया था। मैने यह भी अनुरोध किया था कि जब तक सी0एच0सी0 की नई बिल्डिंग नही बना दी जाती तब तक इसको हेली मण्डी मे ि ाफट कर दिया जाये। हेली मण्डी वहा से केवल 3 किलोमीटर के फासले पर है। मै मंत्री जी से जानना चाहूगा कि पटौदी सी0एच0सी0 की नई बिल्डिंग बनाये जाने के बारे मे सरकारर की तरफ से क्या कार्यवाही की जा रही है?

डा0 एम0एल0 रंगाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से अपने सम्मानित सदस्य को बताना चाहूगा कि पटौदी की

सी0एच0सी0 को हेली मण्डी मे ि ाफट करने पर कोई विचार नही हो रहा क्योकि हेली मंडी से पहले ही हस्पताल है। जैसा इन्होने वहा की बिल्डिंग के बारे मे जिकर किया है उसको सरकार देख लेगी और उसको रिपेयर आदि की आव यकता होगी तो उसको करवा दिया जायेगा और यदि नई बिल्डिंग की आव यकता हुई तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री चन्द्र भाटियाः अध्यक्ष महोदय, मै आपको माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि फरीदाबाद मे जो मेरा विधान सभा के क्षेत्र है वहा पर एक बी0के0 होस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है। उस बिल्डिंग के साथ दो नए ब्लाक जाने थे, मै मंत्री जी से जानना चाहता हू कि नए ब्लाक बनाये जाने के बारे मे सरकार क्या विचार कर रही है और इन ब्लाक को बनाये जाने मे कितना समय लगने की सभांवना है ?

डा0 एम0एल0 रंगाः अध्यक्ष महोदय, मै अपने सदस्य को बताना चाहूगा कि बी0के0 होस्पिटल मे जो ब्लाक बनना था उसके लिये बजट मे प्रावधान कर दिया गया है। बजट आने पर उस ब्लाक को बनाये जाने का काम भुरू कर दिया जायेगा।

श्री सूरजमलः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हू कि मुरथल मे वर्श 1977 के अन्दर चौधरी देवी लाल जी ने एक 30 बैड का अस्पताल बनाया जाना मजूर किया था लेकिन उस मजूर किये गये अस्पताल पर आज तक कोई

कार्यवाही नही हुई है, जबकि मुरथल गांव की पंचायत ने वहा पर अस्पताल बनाये जाने के लिये 70 हजार रूपया भी जमा करवाया हुआ था। इस बारे मे मैने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था। सी0एम0 साहब ने जुआ गांव मे तो हस्पताल की मजूंरी दे दी है लेकिन मुरथल के लिए अभी कोई मजूरी नही हुई है। मै मंत्री जी से जानना चाहूगा कि क्या सरकार द्वारा मुरथल के अन्दर 30 बैड का हस्पताल बनाये जाने के लिये जल्दी कार्यवाही किये जाने की उम्मीद है ?

डा0 एम0एल0 रंगाः अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी पी0एच0सी0 बनाये जाने की जो घोशणा की है उसपर अमल जरूर होगा, चाहे इसके लिये हमे अलग से फण्ड की व्यवस्था क्यो न करनी पडे। जहा तक माननीय साथी का यह कहना कि वहा अस्पताल बनाये जाने के लिये 70 हजार रूपये जमा करवाये हुये है, इसको भी देख लिया जायेगा। इतना ही नही हमारी सरकार ने तो हमारे से पहले की सरकार ने भी जो घोशणा कर रखी थी उन पर भी अमल किया है। उसी पर अमल करते हुये जो पहले के पत्थर रखे हुए थे, उन पर कार्यवाही हुई है और सदन की जानकारी के लिये मै बताना चाहूगा कि इस सरकार ने 14 महीनो के दौरान 17 पी0एच0सी0 का उद्घाटन किया है जो कि एक रिकार्ड है। इसके अलावा हम 11 पी0एच0सीज0 नई बनाने जा रहे है। जैसा कि मैने पहले भी कहा है कि चौधरी देवी लाल जी की जो घोशणा है उस पर अमल अव य किया जायेगा उसके लिये

चाहे हमे बजट मे स्पे ाल एलोके ान क्यो न करानी पडे, उनकी घोशण पर अव य अमल किया जायेगा।

श्री रामफल कुण्डू: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के सफीदो के अन्दर काफी समय से पी0एच0सी0 चल रही है, मुख्यमत्री जी ने उसको 50 बैड का अस्पताल बनाये जाने की घोशणा की थी। मै मंत्री जी से जानना चाहता हू कि सफीदो के अन्दर 50 बैड का अस्पताल बनाये जाने के लिए कब तक कार्यवाही आरम्भ कर दी जायगी ?

डा0 एम0एल0 रंगा: अध्यक्ष महोदय, सम्मानित साथी ने सफीदो के अस्पताल को 50 बैड का अस्पताल बनाये जाने के बारे मे पूछा है। मै इनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हू कि वहा पर इस वक्त 30 बैड का अस्पताल है। वहा से हमने बैड आकूपैंसी की रिपोर्ट मंगवाई थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से वहा पर 10 बैड की आकूपैंसी रहती है और 20 बैड खाली रहते है। हम वहां पर अस्पताल के बैडो की संख्या तो नही बढा रहे, लेकिन वहा पर कैजुअलटी सर्विस जल्दी ही भाुरू करने जा रहे है।

श्री बलंवत सिंह मायना: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान मे लाना चाहूगा कि सांपला सी0एच0सी0 की हालत बहुत ही खस्ता है। मै मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि उस की नई बिल्डिंग कब तक बना दी जायेगी और वहां पर डाक्टरो के रहने के बारे मे सरकार क्या कर रही है?

डा0 एम0एल0 रंगाः अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित सदस्य ने अभी अभी सांपला की पी0एच0सी0 के बारे मे जिकर किया है, हम इसकी पूरी तहकीकात करेगे और रिपोर्ट ले कर यदि वह बिल्डिंग बनने लायक है तो उस पर जरूर विचार करेगे।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय जी को बताना चाहूगा कि उटावड, नागंल जाट और औरगांबाद की पी0एच0सीज0 मे जो कि सन् 1985 से रैगुलेटर डाक्टर नही गए है। मंत्री जी जानते है कि वहा पर एक दो डाक्टर्ज को डैपुटे ान पर भेजा गया है। डाक्टर वहा पर रहना नही चाहते है क्योकि वहा पिछडा हुआ इलाका है। मै चौधरी औमप्रका ा चौटाला जी के नेतृत्व मे प्रगति ील सरकार से यह जानना चाहूगा कि क्या वे इस कार्य को रिकार्ड समय मे पूरा करवाने का प्रयास करेगी वि ोश तौर से नागंल जाट और उटायड का जा डिस्यपूट है उसे हल करेगी? नांगल जाट मे सडक से पिछली और दो तीन किलोमीटर दूर अस्पताल की बिल्डिंग बनाना प्रस्तावित है, क्या मंत्री जी एक टीम भेज कर उसको एग्जामिन करवा कर उसे आन दि रोड बनवाने का कश्ट करेगे और सरकार इसके लिए भूमि की व्यवस्था करने मे गाव मे मदद करेगी ?

डा0 एम0एल0 रगांः अध्यक्ष महोदय, नांगल जाट मे जो भूमि पंचायत द्वारा स्वास्थय विभाग को दी गई है उसके बारे मे मै बताना चाहूगा कि यह बात सत्य है कि वह गांव से दूसरी तरफ है

और सडक के साथ पंचायत की कोई भी भूमि नही है। अगर किसी दूसरे से खरीद कर लेने की बात है और ग्रांम पचायत इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमे भेजेगी तो जरूर उस पर विचार किया जाएगा। जंहा तक निर्माण कार्य की बात है, मैने पहले भी कहा है इसी सत्र मे निर्माण कार्य भाुरू कर दिया जाएगा।

Receiving of Grant

681. Shri Moola Ram: Will the Minister be pleased to state the detail of the aid/grant, if any, received by the State Government under the Accelerated Rural Water Supply Scheme during the year 1998,1999,2000 and 2001 to date separately ?

मुख्य मंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): महोदय, इस बारे मे सूची सदन के पटल पर रखी गई है।

सूची

क्रम सख्या	वर्श		प्राप्त अनुदान रा ि। रूपये लाखो मे	
		साधारण	बोनस	कुल
1.	1998—99	1530.27	494.77	2025.04
2.	1999—2000	1708.52	698.72	2407.28
3.	2000—2001	1880.18	0	1880.18

4.	2001–2002	2200.00	बोन ा की रा ि ा कार्य पर प्रणाली पर आधरित है जो कि वित्त वर्श के अन्त मे प्रदान की जाती है	2200.00

भारत सरकार द्वारा वर्श 2001–2002 मे स्वीकृत की गई 2200.00 लाख रूपये की रा ि ा इस प्रोग्रोम के अर्न्तगत पिछले वर्शो मे जारी की गई नार्मल रा ि ायो की तुलना मे सब से अधिक है।

श्री मूला रामः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि वर्श 1998–99, 2000 तथा 2001 मे आज तक पृथक पृथक वर्शो के दोरान ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा यदि कोई अनुमान प्राप्त किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मुख्यसंसदीय सचिव(श्री रामपाल माजरा): स्पीकर साहब, वैसे तो यह सूचना के पटल पर रख दीगई है फिर मेरे साथी ने जो प्र ान पूछा है उसके बारे मे मै उन्हे बताना चाहूगा कि उसकी

2200 लाख रूपये की अनुदान रा ि ा प्राप्त हुई है (विघ्न) वर्श 1998–99 मे 1530.27 लाख रूपये मिले है, 1999–2000 मे 1708. 52 लाख रूपये मिले है, वर्श 2000–2001 मे 1880.18 लाख रूपये मिले है और वर्श 2001–2002 लाख रूपये की सर्वाधिक रा ि ा मिली है जो कि अपने आप मे एक रिकार्ड है।

चौधरी जय प्रका ाः .....

श्री अध्यक्षः जय प्रका ा जी, आप अपनी सीट पर बैठे। (विघ्न एवम भाोंर)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय,.....

.....

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर बैठे। (विघ्न एवम भाोंर) जय प्रका ा जी तथा कैप्टन साहब जो बोल रहे है, वह रिकार्ड ने किया जाए। (विघ्न एवम भाोंर) चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सदस्यो को बैठाए। (विघ्न एवम भाोंर)

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, हमारी पार्टी के बहुत से माननीय सदस्यो ने सवाल दिये है लेकिन हमारा इस क्वै चनज लिस्ट मे एक भी सवाल नही लगा है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, उनकी बात सही है। हमारे साथी बैठे जाएगे और हम मर्यादा मे रहेगे। लेकिन आपका तारीक बिल्कुल निश्पक्ष नही है। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सबके प्र ान लेट आए है और वे 13 तारीख के बाद के लिये पढने है जो भी प्र ान जैसे जैसे आए है उन्ही आर्डर्ज से लगे है। (ाोर एवम व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आपका प्र ान लगाने का तरीका क्या है। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जो प्र ानन पहले देगा उसका प्र ान पहले लगेगा। (ाोर एवम व्यवधान) आप चाहे तो मै आपको रिकार्ड दिखा सकता हू। (ाोर एवम व्यवधान)

चौधरी भजन लालः आप हमे रिकार्ड बात दे। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः राव नरेन्द्र सिंह ने 28, कैप्टन अजय सिंह ने 28, भोर ने 28, जय प्रका ा भार्मा ने 28 तारीख को प्र ान दिया है इससे पहले किसी ने कोई प्र ान नही दिया है। (ाोर एवम व्यवधान) कर्ण सिंह दलाल ने फैक्स भेजा है और इस पर कही पर कोई हस्ताक्षर नही किये है अब आप ही बताए कि मै इसको एडमिट कंरू कि क्या करू। (ाोर एवम व्यवधान) हस्ताक्षर वाली जगह बिल्कुल ब्लैक है। (ाोर एवम व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आज जो प्र ान लगे है और हमारे जो प्र ान है इन की आप हमे डेट्स बता दे कि कब कब आए है। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सबके जो प्र ान आए है वे 28 तारीख को यह इसके बाद आए है और जो आज प्र ान है ये सब 26–27 तारीख से पहले के हैं। (ाोर एवम व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप यह बताए कि आज जो प्र ान लगे है कि वे किन किन तारीखो को आए थे। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह मैने अभी बताया है हालांकि यह इन्फर्मे ान आपको मिल जाएगी। (ाोर एवम व्यवधान)

चौधरी जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, मैने चार महीनो पहले प्र ान दिए थे लेकिन उनमे से कोई प्र ान भी नही लगा है।

श्री अध्यक्षः जय प्रका ा जी, हाउस की प्रोरोगे ान होने के बाद प्र ान समाप्त हो जाते है। (ाोर एवम व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आप प्र ानो की लाटरी सिस्टम से सिलैक्ट किया करे।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब का कोई भी प्र ान 28 तारीख से पहले नही आया है और आपके वे प्र ान आज के बिजनैस के बाद एडमिट होगे। (ाोर एवम व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप आज हाउस को उठाने वाले है और कह रहे है कि प्र ान एडमिट कर रखे है।

अध्यक्ष महोदय, स्पीकर, जो पहले भी थे लेकिन इससे गन्दा सिस्टम हमने आज तक नही देखा है।

श्री अध्यक्षः आप सब बैठे। लीला कृश्ण जी, आप अपना प्र ान पूछे। (ाोर एवम व्यवधान)

चौधरी लीला कृश्णः अध्यक्ष महोदय, मै एक भोर कहना चाहता हू।

'' मुझको तो सब कहते है कि रख नीचे निगाह अपनी,

इनको कोई नही कहता है कि न निकल अयां होकर''।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के मे गोरखपुर बहुत ही बडा गाव है। वहा पर पीने का पानी की बहुत दिक्कत है। वहा पर टाईप एक्स्टै ान की स्कीम बनी है। उसके लिये 20 लाख का एस्अीमैंट मंत्री जी के समक्ष पे ा हुआ है। क्या मंत्री इसको प्रायरिटी बेस पर पास करके वहा का काम भाुरू करवाने की कृपा करेगे ?

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, यह प्र ान वैसे तो त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना से सम्बन्धित स्पैसिफिक प्र न था। इस मामले को लेकर मेरे सम्मानित साथियो ने पूछा था कि कितना बजट हरियाणा प्रदे ा को मिला। अब इस बात को लेकर लीला कृश्ण जी ने प्र ान पूछा है मै उनका बताना चाहूगा कि इस योजना के तहत जहां पर यह योजना है उसी प्रकार से

सूखा ग्रस्त विकास कार्यक्रम है और इनका जिला उसमे आता है। उसमे वि ोश योजना भाुरू की गई है। हरियाणा प्रदे ा की जो स्थिति है वह इस प्रकार है। 6745 गावो मे 3335 गांव ऐसे है जिनमे पानी 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से भी कम है। इन गावो मे से 1036 गांव हरियाणा प्रदे ा के सभी जिलो मे से लिये गये है। आपने वि ोश तौर से जिस गांव का नाम लिया है आप उस बारे मे सैपरेटली लिख कर दे दे, उसकी समस्या को दूर कर ही दिया जायेगा। चौधरी ओमप्रका ा चौटाला जी ने अपनी हर जन सभा मे, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रमो मे यह कहा है कि सारे गांवो को पीने का पानी देगे और प ाुओ को भी पीने का पानी देगे।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे हए तारांकित प्र ान के लिखित उतर

Yamuna Action Plan

661 Diwan Pawan Kumar: Will the Minister be pleased to state the name of the citites in which the work under Ymauna Action Plan has been undertaken by the Government, along with details of the work.

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): सरकार द्वारा निम्नलिखित 12 भाहरो मे यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ किये गये है। कार्यो का ब्यौरा संलग्नक ए पर है।

क्रमांक	भाहर
ए	मुख्य भाहर (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)
1.	यमुनानगर
2.	करनाल
3.	पानीपत
4.	सोनीपत
5.	गुडगांव
6.	फरीदाबाद

बी0– अतिरिक्त भाहर (बिना बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)	
1.	छदरौली
2.	रादौर
3.	इन्द्री
4.	घरौडा
5.	गोहाना

6.	पलवल

सलंग्नक–ए

ए– मुख्य भाहर (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)

क्र0	भाहर	अनुमोदिन रा ि ा रूपये करोडो मे		मल उपचार संयतत्र	मुख्य सीवर	अल्प लागत भौचालय	उत्तन भावदाह गृह	नहाने के घाट	मल उपचार संयतत्र के उद्घाटन की तिथि
1.	यमुनानगर	26.19	1	10	15.97	4	3	2	कार्य प्रगति पर है।
			1	25					17.9. 2000

2.	करनाल	23.27	1	40	7.43	4	6	.	कार्य पूर्ण
			1	8					28.7. 2000
3.	पानीपत	41.53	1	10	17.75	4	3	.	9.8.2000
			1	35					16.4. 2000
4.	सोनीपत	23.22	1	30	12.00	5	4	..	11.4. 2000
5.	गुडगांव	21.92	1	30	5.82	6	4	...	4.1.2000
6.	फरीदाबाद	70.38	1	20	22.81	8	4	...	4.1.2000

			1	45					2.10. 1998
			1	52					कार्य पूर्ण
	जोड	206.51	11	303	81.78	31	24	2	

नोटः– 11 मल उपचार सयंन्त्रो मे से, 10 मला उपचार सयन्त्र सुचारू रूप से पूर्ण करने चालू कर दिये गये है जिसको परियोजना निदे ाक, नदी सरक्षण परियोजना, पर्यावरण एवम वन मंत्रालय, भारत सरकार, ने भी अपने पत्र क्रमांक एम– 12021/4/96 एन0आर0सी0डी0 –II (भाग– II) दिनांक 5.1.2001 (प्रति सल्गन है) के द्वारा सरहा है ।

बी अतिरिक्त भाहर(बिना बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)

क्र0	भाहर	अनुमोदित राि ा रूपये करोडो मे	सीवर		मल उपचार संयतत्र		
		रूपये करोडो मे	लगाया जाना था किलोमीटर	लग चुका है किलोमीटर	संख्या	एम0एल0बी0	भौतिक प्रगति
1.	छदरौली	1.03	2.98	2.65	1	1.	डी.पी.आर. 10/2000 मे स्वीकृत कार्य आरम्भ कर दिया

							गया है।
2.	रादौर	1.81	4.68	4.23	1	1.0	डी.पी.आर. 10/2000 मे स्वीकृत भूमि अभिग्रहण की जा रही है।
3.	इन्दरी	1.28	6.06	6.02	1	1.5	डी.पी.आर. 10/2000 मे स्वीकृत भूमि अभिग्रहण की जा रही है।
4.	घरौडा	1.73	4.93	3.60	1	3.0	डी.पी.आर. 10/2000 मे

							स्वीकृत कार्य अलाट कर दिया है।
5.	गोहाना	3.36	9.65	9.66	1	3.0	95 प्रति ात कार्य पूर्ण
					1	0.5	95 प्रति ात कार्य पूर्ण
6.	पलवल	10.56	10.68	9.67	1	9.0	भारत सरकार ने डी0पी0आर0 अभी स्वीकृत करनी है।
	जोड	19.77	38.98	35.83	7	19.0	

Tel: 4362281/Gram-SHUDHJAL/Fax 4382281&4360009

A.M GOKHALE

अपर सचिव एवम परियोजना निदे ाक,

राश्ट्रीय नदी संरक्षण निदे ालय,

पर्यावरण एवम वन मत्रालय,

(भारत सरकार)

Additional Seceratry & Project Director,

National River Conservation Directorate,

Ministry of Envrionment & Forest,

(Govt. of India)

पर्यावरण भवन/Paryavaran Bhawan

सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड/C.G.O Complex, Lodi Raod

नई दिल्ली–110003/New Delhi – 110003

D.O No. M-1201/4/96/-NRCD-II (Vol-II) Dated 5-1-2001

Dear Shri Goyal,

As you are aware, this Ministry is implementing Yamuna Action Plan in Haryana, Delhi and U.P. The works in

Haryana are being implemented by the Public Health Engineering Department. The share of Haryana in the total cost of Rs. 510 croro of the on-going works of YAP is about Rs. crore. In addition, projects amounting to Rs. 30 crore for Haryana are under consideration for approval under the second phase of YAP.

2. YAP is an externally aided project with assistance coming form the Japan Bank for iternational Co-Operation (JBIC). This is a priority projcet for both JBIC and Government of India and is to be completed strictly according to a fixed time schedule.

3. The performacne of Haryana the implementation of YAP has been excellent during the past 4 years. This has been recognized not only by this Ministry but by JBIC also. I am sure, the State Government will follow the same trend for the additional works which are now consideration for the second phase.

4. The projects is to be completed by March, 2002. Thus, about 15 months only are left completed some of the left over works of the first phase and the additional works now being considered for the second phase. For this purpose, it is neccessary that the field engineers, particularly at the level fo Executive Engineers and Superintending Engineers who are familiar with the project as will as JBIC procedures are not transferred till the projcet is completed.

With regards

Yours Sincerely,

Sd/-

(A.M GOKHALE)

Shri. I.M Goyal, Chief Secretary,

Governement of Haryana,

Chandigarh.

Case of Raod Accidents Registered in the State

657. Dr. Bishan Lal Saini: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of the cases of road accidents occurred/reported in the State during the year 1999-2000 and 2000-2001, togetherwith the number of persons died and injurned separately in the said accidents; and

(b) the total number of cases of raod accidents registered in the State during the year 1996,1997,1998,1999, and 2000 togetherwith the number of persons died and injurned separately in the said accidents.

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला):

(क व ख), वाछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

(क) राज्य मे वर्श 1999–2000, 2000–2001, के दौरान हुई सडके दुर्घटनओ की कुल सख्ंया तथा उनमे मरने वाले तथा

घायलो व्यक्तियो की अलग अलग संख्याओ का विवरण निम्मलिखित है:—

वर्श	**सडक दुर्घटनाओ की सखंया**	**मरने वाले व्यक्तियो की संख्या**	**घायल व्यक्तियो की संख्या**
1999—2000	8219	2964	8805
2000—2001	8392	2972	8562

(ख) राज्य मे वर्श 1996,1997,1998,1999 व 20000 के दौरान हुई सडके दुर्घटनओ की कुल सखंया तथा उनमे मरने वाले तथा घायलो व्यक्तियो की अलग अलग संख्याओ का विवरण निम्मलिखित है:—

वर्श	**सडक दुर्घटनाओ की सखंया**	**मरने वाले व्यक्तियो की संख्या**	**घायल व्यक्तियो की संख्या**
1996	6934	2663	7149
1997	7189	2689	7742
1998	7983	2789	7893
1999	8248	2900	8417

2000	8206	2941	8695

Contruction of Raod form Samda to Alewa

686. Shri Ram Kumar Katwal: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to constuct a road form village Samda to Alewa in Rajound consitituency; if so, the details thereof ?

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धु): हां, श्रीमानी जी। गांव समादा से अलेवा तक की लगभग 5.5 किलोमीटर लम्बी सडक लगभग 48 लाख रूपये की लागत से '' सरकार आपके द्वारा'' कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाने का प्रस्ताव है। इस सडक का निर्माण अक्तूबर, 2001 मे भुरू किये जाने की सम्भावना है।

Repair of Road of Baldev Nagar

663. Smt. Veena Chibber: Will the Minister of State for Locla Government be pleaed to state-

(a) whether it is fact that the roads in Baldev Nagar of Ambala City are damaged badly; and

(b) if so, the time be which the aforesaid roads are likely to be reparied ?

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल):

(क) जी हां।

(ख) नगर परिशद अम्बाला भाहर के पास रा ि ा उपलब्ध होने पर सडको की मरम्मत यथा ीघ्र करवा दी जाएगी।

Indira Aawas Yojana

680. Dr. Ram Kumar Saini: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the details of the amount allcoated under Indira Aawas Yojana during the year 2000-2001 togetherwith the amount spent so far therefrom; and

(b) the distircitwise number of house constructed under the scheme referred to in part (a) above during the said period?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला):

(क) तथा (ख) श्रीमान जी, एक विवरणी सदन की मेज पर रखी जाती है।

विवरणी

(क) वर्श 2000–2001 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आबाटिंत रा ि ा तथा खर्च की गई रा ि ा का ब्यौरा–

(रूपये लाखो मे)

क्र0	जिले का नाम	आबाटित रा ि ा	खर्च की गई रा ि ा

1.	अम्बाला	144.40	142.00
2.	भिवानी	87.12	80.91
3.	फरीदाबाद	108.71	108.71
4.	फतेहबाद	49.48	48.80
5.	गुडगांव	83.23	76.10
6.	हिसार	176.23	163.69
7.	झज्जर	117.85	117.80
8.	जीन्द	127.70	127.70
9.	कैथल	66.06	60.60
10.	करनाल	107.06	102.20
11.	कुरूक्षेत्र	83.21	81.70
12.	महेन्द्रगढ	43.78	42.52
13.	पंचकूला	18.36	18.36
14.	पानीपत	72.06	72.06
15.	रिवाडी	66.27	62.20

16.	रोहतक	135.72	166.71
17.	सिरसा	82.32	79.50
18.	सोनीपत	157.40	157.40
19.	यमुनानगर	189.92	186.32
	कुल	1913.28	1845.28

क) वर्श 2000–2001 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत बनाये गये मकानो की जिलावार संख्या–

क्र0	**जिले का नाम**	**बनाये गये मकानो की संख्या**
1.	अम्बाला	710
2.	भिवानी	439
3.	फरीदाबाद	543
4.	फतेहबाद	244
5.	गुडगांव	388
6.	हिसार	815
7.	झज्जर	589
8.	जीन्द	638

9.	कैथल	306
10.	करनाल	511
11.	कुरूक्षेत्र	434
12.	महेन्द्रगढ	210
13.	पंचकूला	74
14.	पानीपत	360
15.	रिवाडी	311
16.	रोहतक	572
17.	सिरसा	532
18.	सोनीपत	622
19.	यमुनानगर	807
	कुल	**9126**

Upgradation of School of Badhra Constituency

696. Shri Ranbir Singh: Will the Chief Minister of state for Education be pleased to state whether there is any prposal under consideration of the Government ot up grade any school of Badhra Contituency during the year 2000-2001; if so, the names thereof ?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह): जी हां, बाढडा चुनाव क्षेत्र मे 2000–'2001 के दौरान निम्नलिखित 14 विधायलयो का दर्जा बढाया गयाः–

प्राईमरी से मिडल

1.	उमरवास
2.	डाडमा
3.	कलाली

माध्यमिक से उच्च

4.	लाड
5.	बाढडा (क)
6.	रामलवास
7.	बडराई
8.	काकडौली हुक्मी (क)
9.	बालरोड
10.	रूदडोल
11.	धनासरी

उच्च से वरिश्ठ माध्यमिक

12.	द्वारका
13.	चान्दवास
14.	झोझू कंला (क)

Construction/Repair of Roads

634. Ch. Nafe Singh Rathi: Will the Chief Minister For Agriculture be pleased to state the total Kilometres of raods consturction/repaired by the Haryana State Agriculture Marketing Board separately in the rural areas during the period from 1991 to 2001.

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू): हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा 1991 से 2001 (1.1.1991 से 31.5.2001) की अवधि मे निम्नखित किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सडको का निर्माण/मरम्मत की गईः–

1.	निर्मित की गई लम्बाई	4793.77 किलोमीटर
2.	मरम्मत की गई लम्बाई	4926.20 किलोमीटर

Chaupals for S.C/B.C

634. Shri Krishan Lal: Will the Chief Minister be pleased to state whether any new Chaupals of Scheduled Castes/Back ward Classes have been constructed in the State

during the period form 1st July, 1996 to 23rd June, 1999 and 24th June, 1999 to 31st March, 2001; if so, the details of the expenditure incurred thereon ?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): श्रीमान जी, 1 जुलाई, 1996 से 23 जून, 1999 तक 452 अनुसूचित जातियो तथा 431 वर्गो के लिये चौपालो का निर्माण क्रम ाः 521,18 लाख रूपये तथा 493.15 लाख रूपये क लाग से किया गया। 24 जून, 1999 से 31 मार्च, 2001 तक 579 अनुसूचित जातियो तथा 633 पिछडी वर्गो के लिये चौपालो का निर्माण क्रम ा 70313 लाख रूपया तथा 79130 लाख रूपये की लागत से राज्य मे किया गया।

Constrution of water Works at Nidana

677. Shri Balbir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Governmnet to construct water works in village Nidana in Meham Contituency; if so, the time by which the aforesaid water works is likely to be completed?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): जी नही, गांव खडक जाटान मे अलग जल घर बनाए जाने के प चात निदाणा गांव की जलापूर्ति मे स्वतः सुधार हो जाएगा।

Canal Colony, Pundri

649. Shri Tejvir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the date on which the land for the construction of Canal Colony, Pundri, was acquired

togetherwith the time by which the consturction work of the said colony is likely to be stated/completed?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): श्रीमान जी, पुण्डरी मे नहर कालोनी हेतु अभी तक किसी भूमि का अभिग्रहण नही किया गया है।

Grain Market in Guhla and Siwan

669. Shri Amar Singh Dhanday: Will the Chief Minister for Agriuclture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Grain Market in Guhla and Siwan?

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धु): विधमान अनाज मंडी चीका (गुहला) के विस्तार का मामला सरकार के विचाराधीन है। सीवन मे नई अनाज मंडी के निर्माण का प्रस्ताव, न्यायालय के भूमि अभिग्रहण पर स्थगन आदे ाो के कारण रूका हुआ है।

Opening of J.B.T Centre at Chatutala

679. Dr. Sita Ram: Will the Chief Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under conisderation of the Government to open J.B.T Centre in Village Chatuala District Sirsa?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह): नही श्रीमान जी।

अतारकित प्र ान एवम उतर

Consturction of a Grian Market/Subzi Mandi at Amabla Cantt.

34. Shri Anil Vij: Will the Chief Minister for Agriuclture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Governmnent to construct a new Anaj Mandi, Subzi Mandi, and Chara Mandi at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धु):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) स्थल का चयन किया जा चुका है। हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल का कब्जा मार्किट कमेटी, अम्बाला छावनी को देने के प चात मंडी के निर्माण मे लगभग 3 वर्श लगेगे।

Canal Based Water Supply Scheme for Ambala Cantt.

35. Shri Anil Vij: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any Canal Based Water Supply Scheme for drinking water has been approved by the Government for Ambala Cantt; and

(b) if so, the details of the amount earmarked/released for the above said scheme and the time by which the above schemes is likely to be materialized ?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला):

(क) जी हां, श्रीमान जी।

(ख) अब तक 1500 करोड रूपये के अनुमान के अन्तर्गत 6.00 रूपये की रा ि ा दी जा चुकी है। मार्च, 2001 मे भारत सरकार से आ ि ाक धन रा ि ा प्राप्त हुई थी जिसमे से 2.00 करोड रूपये की धन रा ि ा इस योजना को दी गई है तथा चालू किया जा रहा है। इस योजना को पूर्ण करने की कोई समय सीमा निर्धारित नही की जा सकती क्योकि इसका सम्पूर्ण होना भारत सरकार से 19.70 करोड रूपये की बकाया धन रा ि ा की उपलब्धता पर निर्भर करता है जिसे भिवानी भाहर, कैथल भाहर और अम्बाला कैंट की योजनाओ को वितरित किया जायेगा। इससे पहले भारत सरकार ने ''मूलभूत न्यूनतम सेवाओ'' के अन्तर्गत इन योजनाओ को धन रा ि ा दी थी जो कि एक बार मे ही दी जानी आपेक्षित थीं। अब भारत सरकार द्वारा ''अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता'' के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है जो कि भातप्रति ात केन्द्रीय सहायता स्कीम है।

Construction fo Additional Rooms is Government College, Amabala Cantt.

36. Shri Anil Vij: Will the Chief Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct additional rooms and to introduce new courses based on information technology or any other courses in Government College Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह):

(क) (i) नही, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है कि इस राजकीय महाविधालय मे अतिरिक्त रूप मे कोई कमरा बनवाया जाना है।

(ii) हां कम्पयूटर ि ाक्षा वैकल्पिक विशय के रूप मे राज्य के महाविधायल मे जिसमे राजकीय महाविधालय, अम्बाला छावनी भी भाामिल है प्रारम्भ की जा रही है।

(ख) जुलाई, 2001 से।

Judicial Complex at Ambala Cantt.

38. Shri Anil Vij: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Judicial Complex at Ambala Cantt, togetherwith the time by which the Civil Courts are likely to be shifted from Ambala City to the said complex?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): अम्बाला छावनी मे न्यायिक सव्यूह के निर्माण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। इस स्थिति मे अम्बाला भाहर मे अम्बाला छावनी मे दीवानी अदालतो को स्थानान्तरित करने के समय बारे कोई समय अवधि तय नही की जा सकती।

घोशणाए

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) सभापतियो के नामो की सूची

Mr. Speaker: Hon' ble Members, under rule 13 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panal of Charipersons:-

(1) Shri Bhagwan Sahai Rawat

(2) Shri Rajinder Singh Bisla

(3) Capt. Ajay Singh Yadav

(4) Shri. Chander Bhatia

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker: Hon' ble Members, under rule 330 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions:-

(1)	Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Ex Officio Chariperson
(2)	Shri Bhagwan Sahai Rawat	Member
(3)	Smt. Veena Chhibbar	Member
(4)	Shri Abhay Singh Chautala	Member
(5)	Ch. Zakir Hussain	Member

(ख) सचिव द्वारा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गए बिलो सम्बन्धी

Mr. Speaker: Now, the Secertary will make an announcement.

सचिवः मान्यवर, मै उन विधेयको की सूची द ाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च 2001 मे हुये सत्र मे पारित किये थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर, सदन की मेज पर रखता हूः–

1. हरियाणा प ु मेला (सं ाोधन) विधेयक, 2001

2. हरियाणा विनियेाग (सख्या 1) विधेयक, 2001

3. हरियाणा मुर्रहा भैंस तथा अन्य दुधारू प ा नस्ल (प ा पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) विधेयक, 2001

4. हरियाणा विनियेाग (सख्या 2) विधेयक, 2001

5. हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक, 2001

6. पजाब आबकारी (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, 2001

7. पजांब अनुसूचित सडक तथा नियत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, 2001

ताराकित प्र ान न लगने संबधी मामला

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I respect the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee. (Interruptions)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि आप हमे बताए कि जीरो आवर होगा या नही होगा? यह समय जीरो आवेर का है इसलिए इस समय आप दूसरा बिजनैस नही चला सकते। कृपा करके आप अपोजी ान की भी बात सुनिये। अध्यक्ष महोदय, आप सभी के स्पीकर है हमारी आपमे आस्था भी है। इसलिये कृपा करके आप अच्छी परम्परा कायम रखे। इसका एक ही तरीका है और वह यह कि जो अपोजी ान के लोग बैठे है, उनका ध्यान आप रूंलिग पार्टी से भी ज्यादा रखे। लेनिक आप अपोजी ान का

ध्यान रखने के बजाए रूंलिग पार्टी की बात ज्यादा सुनते है। मुख्यमंत्री जी ने क्वै चन आंवर मे गेहू की खरीद के बारे मे डिटेल मे सब कुछ कह दिया था और अपोजी ान का लीडर अपनी बात कहने के लिये खडा हुआ तो आपने कहा कि सी0एम0 साहब खडें है इसलिये आप बैठे। स्पीकर साहब, हमे भी तो अपनी बातो कहने की इजाजत मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आप तो उस समय जवाब दे रहे थे जबकि आपको सवाल पूछना चाहिए था। आप सवाल पूछा ही नही रहे थे।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, आपका यह रवैया ठीक नही है.....

श्री अध्यक्षः अब जो भजन लाल जी कह रहे है वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्षः आप केवल प्वायंट पर ही बोले।

चौधरी भजन लालः आप हमे बता दे कि हमारे मैम्बर्ज ने क्वै चज कब कब और किस किस तारीख को दिए?

श्री अध्यक्षः आप मेरे चैम्बर मे आ जाना मै आपको बता दूगां। मेरा डिसीजन देखकर आप स्वय कहेगे कि यह ठीक था।

आप खुद कहेगे कि आपके मैम्बर्ज ने लेट क्वै चंज दिये थे इसलिये वे लेट लगे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मै यह जानना चाहता हू कि असैम्बली को आप आज ही उठाना चाहते है?

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, इसका फेसला बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मे हो गया था।

चौधरी भजन लालः बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मे मै भी था उसम तो कोई ऐसा फेसला नही हुआ।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस समय मै क्वै चन आवंर की बात कर रहा हू जो अपोजी ान के लीडर ने बात उठाई है।

चौधरी जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, इन बातो के चक्कर मे हमारा जीरो आंवर का समय चला जाएगा। जीरो आवार मे बोलना हमार राइट है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपकी अनुमति लेकर खडा हुआ हू और लीडर आफ दि अपोजी ान ने जो व्यवस्था का प्र ान उठाया है उसका जवाब दे रहा हू।

चौधरी जय प्रका ाः जीरो आवर का समय हो चुका है इसमे आपने को हमारी बात सुननी चाहिए।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठ जाईए (ाोर एवम विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्र ान को लगाने के बारे मे लीडर आफ दि अपोजी ान ने प्र ान उठाया था उसके बारे मे मै अपील करना चाहता हू कि और भी मैम्बर्ज ने क्वै चन पूछने है तो आप इनकी सुन ले, ताकि जवाब दे दे।

चौधरी भजन लालः इस बारे मे अध्यक्ष महोदय से बात हो गई है और लच टाईम मे उनके चैम्बर मे मिल लेगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड ्डाः पार्लियामैट्री अफेयर्ज मिनिस्टर का इस बात मे क्या रोल है ?

श्री मागे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मै आपकी रूलिंग चाहता हू कि क्वै चन आवंर खत्म होने के बाद क्या बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट पे ा करना जरूरी है या जीरो आवर का इस्तेमाल जरूरी है, यह रूलिंग दे।

श्री अध्यक्षः आप नही बोलगे तो क्या मै अपनी सीट पर चुप बैठा रहूगा। कैप्टन साहब, आपके कांलिग अटै ान मो ान आए है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः सर, हमने काम रोको प्रस्ताव भी दिया हुआ हैं। (ाोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्षः उनका फेट भी बता देता हू। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, डेट्स के बारे मे तो आज इन्हे बताएगे। आपका राइट है आपके सैक्रेटरियट मे सवाल आए है लेकिन जंहा तक प्रौसीजर का सवाल मै भजन लाल जी को बताना चाहता हू कि ये सीनियर मैम्बर है मुख्यमंत्री भी रहे है तीन किस्म मे प्र ान होते है भाार्ट नोटिस, स्टार्ड क्वै चन और अनस्टार्ड क्वै चन। जो स्टार्ड क्वै चन लगते है उसमे 15 दिन का क्लीयरकट नोटिस चाहिए और जंहा तक गवर्नमैट का सवाल है, 24 मई को कैबिनेट मीटिग थी। 24 तारीख को यह फैसला हुआ था कि विधान सभा का अधिवे ान 11 जून को बुलाया जाये। 24 मई और 11 जून के बीच मे 18 दिनो का समय था इस समय मे विपक्ष के सदस्यो को अपने प्र ान भेजने चाहिये थे 24 के बाद 25,26,27,28 और 29 तारीख थी। स्पीकर साहब, विदइन टाईम इनको अपने प्र ान भेजने चाहिये थे अब विपक्ष अपनी डयूटी से अलग हट कर रहे जाये तो हम क्या करे। विपक्ष अपनी ड्यूटी नही निभा रहा है और इल्जाम सरकार पर लगाते है और स्पीकर साहब, पर लगाते है अगर पुराने प्र ान रह गये है तो उनकी रिन्यूवल करवा सकते है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैने भी एक काल अटै ानं नोटिस भेजा हुआ है उसके बारे मे भी कुछ बताये।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठिये, आपके प्र ान का जवाब भी दे दिया जायेगा।

चौधरी जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, मैने विदइन टाईम प्र ान भेजा था परन्तु उसको नही लगाया गया और वित्त मंत्री महोदय इस हाउस को गुमराह क्यो कर रहे है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, कोई भी प्र ान सत्र के लिये भेजने के लिए 15 दिनो का नोटिस चाहिये। विपक्ष के सदस्यो ने 15 दिन प्र ान भेजने के लिये नोटिस नही दिया इसलिये इन्होने अपनी ड्यूटी निभाई नही और यहा हाउस मे बात करते है कि हमारे प्र ान नही लगाये। स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि अनसाईड प्र ान भेजते है इससे फालतु दुर्भाग्य क्या होगा विपक्ष अपना रोल निभाने मे फेल हुआ है। अपनी ड्यूटी निभाने मे कोताही कर रहे है अपनी डयूटी निभाने से बचते है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सब एक साथ खडे हो रहे है अब मै किस को बोलने के लिये कहू।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सभ सदस्यो को बोलने का समय दिया जाये सभी अपने अलग अलग विशयो पर बोलेगे। श्री सम्पत सिह जी ने एक उपदे ा दे दिया कि यह करना चाहिये वह करना चाहिये।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैने तो जो रूल्ज मे लिखा हुआ है वह बताया है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप बैठिये आपको भी अपनी बात कहने का मौका दिया जायेगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह हमे भी पता है कि 15 दिन पहले प्र ान भेजने का टाइम होता है लेकिन सत्र के लिये 15 दिन पहले घोशणा नही की गई। यह मानते है कि कैबिनेट की मीटिग मे फेसला ले लिया होगा लेकिन सत्र बुलाने की घोशणा सिर्फ दस दिन पहले की गई और हमे सदन का प्रोग्रोम सिर्फ चार दिन पहले भेजा गया है। यह रिकार्ड की बात है। फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे है कि 15 दिन पहले प्र ान भेजने चाहिये थे।

श्री अध्यक्षः प्र ान भेजने के लिये स्पै ाल बुलाने सम्बन्धित 15 दिन का समय कोई जरूरी नही है जब पहला सत्र का प्रोरोगे ान हो जाता है (समाप्त होता है) उसके तुरन्त बाद भी आप अपना प्र ान भेज सकते है। अगर आपको पिछले प्र ान कोई प्र ान रह गये है तो उनकी रिन्यूवल आप करा सकते है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह हम भी जानते है कि प्र ान भेजने के लिये 15 दिन का नोटिस चाहिये।

श्री अध्यक्षः क्वै चन भेजने के लिये सै ान बुलाने के नोटिस की जरूरत नही है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि आपने जो कहा है वह हमे दिखा देना, हम मान लेगे। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सब बैठे, कर्ण सिंह दलाल जी का मेरे पास फैक्स आया था आप उसे बैठकर सुने।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने मेरे फैक्स का जिकर किया है यह एक महत्वपूर्ण इ ू है। मै आपके माध्यम से आपसे और सरकार से जानना चाहता हू कि विधायको को कम्प्यूटर्ज की ट्रेनिंग दी गई है और मैने यह फैक्स कम्प्यूटर के माध्यम से भेजा है। विधायक कम्प्यूटर के अन्दर घुसकर दस्तखत तो नही कर सकता। मैने इस फैक्स के बारे मे यहा विधान सभा मे टेलीफोन भी किया है कि मैने ऐसा फैक्स भेजा हैं।(ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः फैक्स साइन होकर आता है लेकिन अनसाइनड है। (ाोर)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै आपसे जानना चाहता हू कि कम्प्यूटर द्वारा भेजा गया कोई भी दस्तावेज विधान सभा मानेगी या नही क्योकि यह मेरे अकेले का सवाल नही है। कल को कोई विधायक फैक्स करेगा तो प्रोब्लम आएगी।

श्री अध्यक्षः बिना साइन के कोई भी दस्तावेजो नही माना जाएगा। क्योकि कल को कोई विधायक कम्प्यूटर से

क्वै चन भेजे और बाद मे कह दे कि मैने तो भेजे नही इसलिए बिना साईन के कोई दस्तावेज नही मान जाएगे। (ाोर)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, कम्पयूटर के अन्दर कोई भी विधायक कैसे दाखिल होकर साइन कर सकता है। मैने कम्प्यूटर के माध्यम से फैक्स किया है और टेलिफोन भी किया है। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह फैक्स साइन्ड नही था। (ाोर)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने विधायको को कम्प्यूटर ट्रेनिंग दी है उसकी अनुपालना करते हुए मैने घर से कम्प्यूटर से ही फैक्स किया है, इस पर नम्बर भी है और मैने विधान सभा मे टेलीफोन भी किया है कि मैने कम्प्यूटर से फैक्स किया है। आप इसको मान ले, अगर मैने टेलीफोन ने किया हो तो सैक्रेटरी साहब मान कर दे। (ाोर एवम व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह केवल मेरा सवाल नही है। आने वाले दिनो मे और भी दिक्कत आएगी। आप जवाब दीजिए कि कम्प्यूटर द्वारा भेजा गया कोई भी दस्तावेज विधान सभा मानेगी या नही। कम्प्यूटर द्वारा भेजा गया फैक्स साइन नही हो सकता। सम्पत सिंह जी आप ही बताइए कि कोई भी विधायक कम्प्यूटर मे कैसे दाखिल होकर साइन कर सकता है। आपको इस बारे मे कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह प्रबन्ध आपने देखना है कि कम्प्यूटर द्वारा भेजा गया कोई भी दस्तावेज मान्य होगा या नहीं लेकिन मै एक सुझाव देना चाहता हू। करण सिंह जी कम्प्यूटर से फैक्स भेजने की बात कह रहे है। तो कम्प्यूटर से फैक्स नही भेजा जा सकता। (ाोर) कम्प्यूटर से इंटरनैट पर ई मेल भेजा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसकी कोई व्यवस्था करते है तो अलग बात है। जहां तक फैक्स की बात है, तो फैक्स अनसाइन्ड कभी नही होता, फैक्स साइन्ड होता है और कम्प्यूटर द्वारा फैक्स नही भेजा जा सकता। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैने कम्प्यूटर से इंटरनैट पर ई मेल ही भेजा है को आप ई मेल की सुविधा देना चाहते है तो ये आप देख ले। अध्यक्ष महोदय, आप अपने सचिवालय मे इसको एग्जामिन करवा ले और एग्जामिन करके अगर आप इस सुविधा को देना चाहते है तो अनांउस कर दे कि आप ई मेल असैप्ट कर सकते है। जंहा तक फैक्स की बात है कि इन्होने फैक्स भेजा है तो फैक्स साइन्ट होता है न कि अनासाइन्ड। फैक्स का कम्प्यूटर से कोई सम्बन्ध नही है। (ाोर एवम व्यवधान)

चौधरी जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, मैने भी अपना प्र ान विदइन टाइम भेज दिया था।

श्री अध्यक्षः नफे सिंह राठी जी क्वै चन 24 और 26 तारीख तक आ गए थे, कृश्ण लाल पंवार का भी क्वै चन 24

तारीख तक आ गया थ, तेजवीर सिंह का भी प्र ान 26 तारीख तक आ गया थां अमर सिंह ढांढे, सीताराम और मूलाराम जी के प्र ान 26 तारीख तक आ गए थे। 26.5.2001 तक के प्र ान आज के बिजनैस के लिए आए है। जय प्रका ा जी आपका प्र ान 29 तारीख से पहले नही आया। (ाोर एवम व्यवधान) कैप्टन अजय सिंह ने 28 तारीख को क्वै चन भेजे है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आप सभी सदस्यो को यह बताये कि यदि आगे से ई मेल द्वारा प्र ान भेजे जायेगे तेा वे असैप्ट किये जायेगे या नही। (ाोर एवम व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, मैने टाईमली प्र ान भेजे थे और वे स्वीकार भी हो गये थे लेकिन फिर भी नही लगे।

श्री अध्यक्षः कैप्टन अजय सिह जिन्होने लेट प्र ान भेजे थे उन्हे भी स्वीकार करके सरकार के पास जवाब के लिए भेज दिए है। (ाोर एवम व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, स्वीकार होने के बाद भी मेरे प्र ान क्यो नही लगे।

श्री अध्यक्षः प्र ानो की सख्ंया ज्यादा होने के कारण नही लगे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः यदि प्र ान ज्यादा आये है तो सैं ान ज्यादा दिन के लिए कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठे आपको बाद मे बता दिया जायेगा कि आपके कितने प्र ान स्वीकार हुए और कितने नही हुएं। (ाोर एवम व्यवधान)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। (ाोर एवम व्यवधान)

बिजैनस कमेटी की पहली रिपोर्ट पे ा करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I report the time table of various business fixed by the Busniss Advisory Committee, as under-

The Committee met at 10-00 A.M on Monday, the 11th June, 2001 in the Chamer of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday, the 11th June, 2001 at 11.00 A.M and ajjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day without question being put. On Tuesday, the 12th June, 2001 the Assembly shall meet at 9-30 A.M and adjourn at 1.30 P.M without question being put and shall meet again at 2.00 P.M and adjornment after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The committee after some discussion also recommends that the business on 11th & 12th June, 2001, be transacted by the Sabha as follows:-

Monday, the 11th June, 2001	1. Obituary References (11.00 A.M)
Tuesday, The 12th June, 2001	1. Question Hour
	2. Presentation and adoption of First Report of the Business Adviosry Committee.
	3. Papers to be laid/re-laid on the table of the House.
	4. Presentation, Discussion & Voting on Excess Demands over grants and appropriations for the years 1995-96 and 1996-97.
	5. Legislative business
Tuesday, The 12th June, 2001	1. Motion under Rule 15 regarding Non Stop sitting
	2. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine die
	3. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2001 in respect of Excess Demands over grnts

	for the years 1995-96 and 1996-97
	4. Any other Business

Mr. Speaker: Now, teh Parliamentary Affairs Minister will move the motion regarding the adoption of First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That this House agrees with the recommedations contained in the First Report of Business Adviosry Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommedations contained in the First Report of Business Adviosry Committee.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह सदन है और सारे प्रदे ा की नजर इस हाउस की तरफ लगी हुई है। हमारी तरफ लोग देख रहे है। मुख्यमंत्री जी क्या कहते है, वित्त मंत्री जी क्या कागज लाकर बोलते है। अपोजी ान वाले क्या बोलते है। आपने पढ दिया है और हमने सुन लिया है। कल बी0ए0सी0 की मीटिंग मे मै भी हाजिर था और बी0जे0पी0 के एम0एल0ए0 कृश्णपाल गुज्जर भी हाजिर थे। आपकी मौजूदगी मे हमने इस बात का डट कर विरोध किया कि अगर आप सै ान एक दिन ही करना चाहते है तो फिर सैं ान की क्या जरूरत थी? एक दिन का सै ान बुलाना था तो उसकी कोई आव कता नही थी। आप

जानते है कि कल का दिन तो भाोकप्रस्ताव के लिए था और हमे पता था कि उसके बाद सै ान उठ जाएगा। एक दिन के सै ान के लिये इतना झमेला करने की क्या आव यकता थी। इसीलिये हमने कहा था कि सै ान तीन दिन चलाइए। अगर तीन दिन का सै ान नही बुलाते तो कल वाले दिन को छोडकर दो दिन का और सै ान हो। मुख्यमंत्री जी ने बी0ए0सी0 की मिटिंग मे कहा था कि हम देख लेगे और हो सकता है कि सै ान बढा दिया जाए। यह बात सुनकर हम आ गये। अब मै मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हू कि आप आज ही सै ान खत्म करना चाहते है या फिर एक दिन का सै ान और बढायेगे। आप एक दिन का सै ान बढा दे। अगर आप एक दिन का सै ान बढायेगे तो सारे मैम्बर्ज सुझाव दे सकेगे, अच्छी बात कहेगे। माने न माने आपकी मर्जी लेकिन आपको अकल की बात जरूर कहेगे। जितनी हमारी अकल और बुद्धि है हम उसके मुताबिक अपनी बात कहेगे चाहे आप उसको मत सुनना। लेकिन सै ान बढाने का हम डट कर विरोध करते है। हाउस दो दिन चलना चाहिए। हमे अविक्ष्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर न करो। (ाोर एवम व्यवधान) इन्हाने बार बार कह दिया कि अविक्ष्वास प्रस्ताव लाओ। (ाोर) हम इनकी आत्मा को जगायेगे। (ाोर) इनके एम0एल0एज0 यहा बैठे हुए है। हम उनकी आत्मा को जगाएगे। (ाोर) ये लोग अपने अपने एरिया मे जाकर क्या कहेगे। लोग इनको गांव मे घुसने नही देंगे। (ाोर) ये सोच ले। इनकी क्या मजबूरी है। (विघ्न) आपके मैम्बर्ज डरे हुए है, घबराये हुए है। (विघ्न) बहुत ही डरे हुए है। मैम्बर्ज।

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप बी0ए0सी0 के बारे मे बोलिये। (विघ्न) आप टू दी प्वायंट बात करे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसलिये मै कहता हू कि सै ान एक दिन चल गया है और कृपया करके दो दिन और चला दे। (विघ्न) सैकिण्ड सिंटिग के कोई मायने नही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, हमने सिटिंग और इेटिग दोनो का प्रबन्ध कर रखा है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, दोनो सिटिंग तब होती है जब कोई मजबूरी हो जाए (विघ्न) जैसे कि सै ान चलते 15 दिन हो जाए, सै ान की और आव यकता न हो और आगे तीन चार छुटिटया पड रही हो। तक तो सैकिण्ड सिटिंग करके सै ान खत्म करने की बात हो सकती है। आज सै ान बुलाया और आज ही खत्म कर देगे तो लोग क्या कहेगे। दे ा के अखबार क्या कहेगे। प्रैस के लोग क्या कहेगे, ऊपर से प्रैस वाले लोग आपको देख रहे है। ये लोग आपकी भाक्ल को देख रहे है, हमारी भाक्ल को भी देख रहे है और स्पीकर साहब, आपकी भाक्ल को भी देख रहे है।

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप तो दो तीन का भी सै ान नही चाहते थे, अब आपको सै ान के लिए दो दिन भी

मिले है और तीन सिंटिंग भी मिली है। (विघ्न) इसलिये आप जो बोलना चाहते है, बोलिए

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हम सिटिंग का क्या करेगे? सिटिंग का सवाल नही है। (ाोर) इन्होने किस लिये सै ान बुलाया, क्या मजबूरी है और क्या खतरा था। (ाोर) जब खतरा होगा तो ये मुख्यमंत्री जी टोहे नही पाएगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, बस, अब आप बैठिए। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अब इनको खतरा होने वाला है। इसलिये इनको कहे कि ठीक चले अन्यथा भुगतान पडेगा।

Mr. Speaker: Question is.

That this House agrees with the recommedations contained in the First Report of Business Adviosry Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker: Now, a Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof Smapat Singh): Sir, I beg to lay on the Table-

The Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Ordinance, 2001 (Haryana Ordiance No. 1 of 2001)

Sir, I beg to re-lay on the Table-

The Power Depatment Notification No. S.O 156/H.A 10/98/Ss 23,24 and 55/99, dated the 1st July, 1999 as required under Section 55(3) of the Haryana Electircity Reform Act, 1997.

The Power Depatment Notification No. S.O 186/H.A 10/98/Ss 23,24 and 25/99, dated the 13th August, 1999 as required under Section 55(3) of the Haryana Electircity Reform Act, 1997.

The Power Depatment Notification No. S.O 213/H.A 10/98/Ss 23,24 and 55/99, dated the 15th October, 1999 as required under Section 55(3) of the Haryana Electircity Reform Act, 1997.

The Power Depatment Notification No. S.O 235/H.A 10/98/Ss 23,24 and 55/99, dated the 15 November, 1999 as required under Section 55(3) of the Haryana Electircity Reform Act, 1997.

The Power Depatment Notification No. S.O 244/H.A 10/98/Ss 23,24 and 55/99, dated the 30 November, 1999 as required under Section 55(3) of the Haryana Electircity Reform Act, 1997.

The General Administiration Department (General Services) Notification No. G.S.R 11/Const./Art. 320/Armd. (1) 2000, dated the 27 the March, 2000, regarding the Haryana

Pubilc Sercics Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulation, 2000, as required under Article 320(5) of Construction of India.

The Prohibition, Excise and Taxatin Department Notificationa No. G.S.R 18/H.A 20/73/S. 64/2000, dated the 3rd April, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act., 1973.

The Prohibition, Excise and Taxatin Department Notificationa No. G.S.R 21/H.A 20/73/S. 64/2000, dated the 20th April, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act., 1973.

The General Administiration Department (General Services) Notification No. G.S.R 25/Const./Art. 320/Armd. (1) 2000, dated the 29th June 2000, regarding the Haryana Pubilc Sercics Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulation, 2000, as required under Article 320(5) of Construction of India.

The General Administiration Department (General Services) Notification No. G.S.R 29/Const./Art. 320/Armd. (1) 2000, dated the 29th March, 2000, regarding the Haryana Pubilc Sercics Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulation, 2000, as required under Article 320(5) of Construction of India.

The Prohibition, Excise and Taxatin Department Notificationa No. G.S.R 41/H.A 10/2000, 26/2000, dated the 20th April, 2000 regarding the Haryana Local Area

Development Tax Rules, 2000, as required under Section 27 of the Local Area Development Tax Ordinanace, 2000.

The Prohibition, Excise and Taxatin Department Notificationa No. G.S.R 44/H.A 20/73/S. 64/2000, dated the 28th July,, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act., 1973.

The Prohibition, Excise and Taxatin Department Notificationa No. G.S.R 45/H.A 20/73/S. 64/2000, dated the 28th July, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act., 1973.

The Power Depatment Notification No, S.O 73/H.A 10/98/Ss/ 23, 24,25 and 55/2000, dated the 14th June, 2000 as required under Section 55(3) of the Haryana Electrictiy Reform Act, 1997.

The Prohibition, Excise and Taxatin Department Notificationa No. G.S.R 78/H.A 20/73/S. 64/2000, dated the 14th December, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act., 1973.

The General Administiration Department (General Services) Notification No. G.S.R 4/Const./Art. 320/Armd. (1) 2001, dated the 16th February, 2001, regarding the Haryana Pubilc Sercics Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulation, 2001, as required under Article 320(5) of Construction of India

Sir, I beg to lay on the Table-

The Prohibition, Excise and Taxatin Department Notificationa No. G.S.R 13/H.A 20/73/S. 64/2001, dated the 22nd May, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act., 1973.

The Administration of Justice Department Notification No. 20/17/2000-4JJ(I) dated 19th October, 2000, regaridng the Haryana State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 30(2) of the Legal Services Authorities Act, 1987.

The 33rd Annual Report and Accouts of Haryana Agro Industries Corporation Limited for the Year 1999-2000 as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Grant Utilistion Certificate and Audit Report for the Year 1988-99 of the Chudhary Chara Singh Haryana Agriucultural University, Hisar as required under Section 34(5) of the Haryana and Punjab Agriuclutral Universities Act,. 1970.

वर्श 1995–96 तथा 1996–97 के अनुदानो तथा विनियोजनो से अधिक मागे प्रस्तुत करना/चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Now, the Finacne Minister will present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1995-96 and 1996-97.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the Year 1995-96 and 1996-97.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriation for the Year 1995-96 and 1996-97 will take place. As per pracitce and in order to save the time of the House all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved toghether. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

(i) Demands for the year 1995-96

That a grant of a sum not exceeding Rs. 97992268/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 244283405/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 9182674/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 917278547/- be made to regularise the charges already

incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 45676387/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 108135921/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2663000/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Social Welfare and Rehabiliation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1990592/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect in Repsect of Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 22235060/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 51825252/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Transport.

(ii) Demands for the Year 1996-97

That a grant of a sum not exceeding Rs. 88060142/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 266149600/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 67076120/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 322532416/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 40059043/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1172591/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Transport.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I shall put various demands for the year 1995-96 to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 97992268/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 244283405/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 9182674/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 17278547/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Finance.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 45676387/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 108135921/- be made to regularise the charges already

incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Education.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2663000/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Social Welfare and Rehabiliation.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1990592/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect in Repsect of Irrigation.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 22235060/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Animal Husbandry.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 51825252/- be made to regularise the charges already incurred in excess

of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Transport.

The motion was carried

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I shall put the various demands for the year 1996-97 to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 88060142/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Home.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 266149600/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Finance.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 67076120/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 322532416/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Education.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 40059043/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1172591/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in repect of Transport.

The motion was carried

स्थगन प्रस्तावो/ध्यानाकर्शण प्रस्तावो की सूचना

17.00 बजे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, हमने जो दो एडजर्नमैंट मो ान दिए थे उनका क्या किया ?

श्री अध्यक्षः ये दोनो एडजर्नमैट मो ान डिस अलाउ कर दिए गए है।

Mr. Speaker: Your two notices of adjournment motions regarding alarming situation arising out of directionless and faulty ecuctaion policy of the State and regarding alarming situation arising out of the Haryana Municiapal Amendment.

चौधरी भजन लालः आप मैम्बर्ज की बात तो सुनो आपने दोनो एडजर्नमैट मो ान डिस अलाउ कर दिए है, यह ठीक बात नही है। स्पीकर साहब, हम इस बात को नही मानेगे। (ाोर एवम विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, हमने दो काम रोको प्रस्ताव आपको दिए थे आपने वे दोनो ही डिस अलाउ कर दिए है। हम जानना चाहते हे कि आपने वे डिस अलाउ क्यो किए जबकि बहुत से महव्वपूर्ण मुद्दे है जिन पर हम इस सदन मे चर्चा करना चाहते है। (ाोर एवम विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये तो आपकी रूलिंग को ही चैलेज कर रहे है जबकि नियम यह है कि एक बार आपकी तरफ से रूलिग आने के बाद उसको कोई चैलंज नही कर सकता। (ाोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप डिमांड पर बोलना चाहते थे तो आप बोल सकते थे लेकिन आप नही बोले।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये तो 5–7 साल पुरानी डिमांडज थी इसलिए इन पर बोलने वाली कोई वि ोश बात नही थी। (ाोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अभी आपने अपनी रूलिग दी कि हमारे दोनो एडजर्नमैंट मो ान डिस अलाउ का दिए है। आप हमे यह बताए कि आपने किन कारणाो से उनको डिस अलाउ किया है। (ाोर एवम विघ्न)

वाक आउटस

चौधरी जय प्रका ाः स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुने। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रका ा जी, आप अपनी सीट पर बैठिये, आप ऐसे बोल कर सस्ती लोकप्रियता हासिल न करे।

चौधरी जय प्रका ाः स्पीकर साहब, आपने हमारे दो एडजर्नमैंट मो ान डिस अलाउ कर दिए यह हमारे साथ ज्यादती है।

श्री अध्यक्षः जयप्रका ा जी कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाए। (ाोर)

चौधरी जय प्रका ाः स्पीकर साहब, यदि आप मुझे बोलने का मौका नही देते तो मै एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाकट आउट करता हूं।

(इस समय नै ानल काग्रेस पार्टी के माननीस सदस्य श्री जय प्रका ा सदन से वाक आउट कर गए।)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, आपने जो हमारे दोनो एडजर्नमैंट मो ान डिस अलाउ किए है वह ज्यादती है। लोग यहा पर चुन कर आए हैं प्रदे ा मे ज्यादतिया हो रही है उन पर मैम्बर साहेबान आपने विचार व्यक्त करना चाहते है। आपने हमारे मो ान डिस अलाउ करके ठिक काम नही किया। यदि आप हमे बोलने का मौका नही देगे तो मजबूरन हमे वाक आउट करना पडेगा।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आपको जीरो आवर मे भी बोलने का समय दिया गया था। चोधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठे।(ाोर एवम विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरी दो कांलिंग अटै ांन मो ान्ज थी, उनका क्या हुआ। (ाोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्षः उनमे से एक जो मिनिमन स्पोर्ट प्राईस के बारे मे कांलिंग अटै ान मो ान थी वह सरकार को कमैटस के लिए भेजी है और जो दूसरी थी, वह डिस अलाउ कर दी गई है। (ाोर एवम विघ्न) कैप्टन साहब, अब आप बैठे। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमारा काम रोको प्रस्ताव था। (ाोर एवम विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठे। (ाोर एवम विघ्न) विधायी कार्य भ्ारू हो चुका है। आप अपने विधायको को बिठाए। (ाोर एवम विघ्न) चौधरी भजन लाल जी जो बोल रहे है वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप हमे अपनी बात कहने का मौका नही दे रहे है। अगर हमे अपनी बात कहने का समय नही मिल रहा तो फिर हमारे यहा बैठने का क्या फायदा है। इसलिए हम एज एक प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते है।

(इस समय नै ानल काग्रेस पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

विधान कार्य

1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरे ान अमैडमैट बिल, 2001

Mr. Speaker: Now, a Minister Will intorduce the Haryana Municiapal Corporation (Amedment) Bill, 2001 and Will alos move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal Corporation (Amedment) Bill] 2001.

Sir I also beg to move-

That the Haryana Muiciapal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Muiciapal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी जगजीत सिहः.....

श्री कर्ण सिंह दलालः.....

श्री अध्यक्षः आप दोनो पहले यह डिसाईड कर ले कि कौन बोलेगा।(ाोर एवम व्यवधान) ये दोनो जो भी बोल रहे है वह रिकार्ड नही किया जाए। आप दोनो बैठ जाए। दो मैम्बर एक साथ नही बोल सकते है।(ाोर एवम व्यवधान) राम कि ान जी अभी आप बैठ जाए अभी कर्ण सिंह जी बोलेगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आपके सामने विपक्ष के नेता चौधरी भजन लाल जी ने और दूसरे माननीय सदस्यो ने कोई महत्वपूर्ण बात रखी और जनता की जो तकलीफे है उन पर बोलने की बात की।

श्री अध्यक्षः आप बिल पर बोले। भाशण न दे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मुझे यहा पर जनता ने चुन कर भेजा है और उनकी बाते यहा पर बोलने के लिए भेजा है।.....

श्री अध्यक्षः दलाल साहब ने जो अनपार्लियामैटरी भाब्द कहे है वे रिकार्ड न किए जाए। (ाोर)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आप यह बताए कि आने वाले समय मे कम्प्यूटर का युग आने वाला है और आने वाले समय मे कोई मैम्बर ई मेल से या फैक्स से प्र ान भेजता है तो क्या उसको मान्यता प्राप्त होगी या नही, आप इस बारे मे रूंलिग दे। (ाोर एवम व्यवधान) बलबीर सिंह जी आप बैठ जाए या पढे लिखो की बात है। (ाोर एवम व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): दलाल साहब, मै आपकी बात को और सरल तरीके से बता देता हू।

श्री कर्ण सिह दलालः तरीके से मुझे भी पता है लेकिन मैने जो बात पूछी है उस बारे मे मै स्पीकर साहब, की रूलिंग चाहता हू।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी कम्पयूटर से कोई भी दस्तावेज भेजताहै तो वह तब तक वैलिड नही होता है जब तक वह आदमी खुद आकर उस पर अपने साईन नही करता है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैने आपने स्टाफ को टेलफोन किया था और उसके बाद आकर मैने उसको अटैस्ट किया था, आप यह बताए कि भविश्य मे कोई मैम्बर फैक्स से या ई मेल से कोई दस्तावेज भेजता है तो वह वैलिड माना जाएगा या नही माना जाएगा ?

श्री अध्यक्षः जिस दस्तावेजपर दस्तख्त होगे वह वैलिड माना जाएगा जिस पर दस्तख्त नही होगे वह वैलिड नही माना जाएगा। (ाोर एवम व्यवधान) बलबीर जी, आप बैठ जाएं दरियाव सिंह जी, आप भी बैठ जाए। (ाोर एवम व्यवधान) आप सब बैठ जांए। जो भी बिना इजाजत के बोल रहा है। उसकी बात को रिकार्ड नही किया जाए।

चौधरी जय प्रका ाः .....

श्री अध्यक्षः राम कि ान जी, आप क्या कहना चाहते थे। (ाोर एवम व्यवधान) मांगे राम गुप्ता जी, आप बैठ जाए, ये आपसे पहले बोलने के लिए खडे हुए थे।

श्री राम कि ान फौजीः अध्यक्ष महोदय, आज पूरा हरियाणा प्रदे ा देख रहा है और हमने यह सोचा था कि कांग्रेस पार्टी यहां पर विपक्ष की भूमिका निभाएगी लेकिन यह बात बहुत ही दुख की बात है कि वे सदन से वाक आउट करके चले गए। हमने यह सोचा था कि ये लोग हरियाणा के गरीब लोगो के बारे मे यहा प्र ान पूछेगे लेकिन यहां पर किसी ने उनके बारे मे एक भी प्र ान नही पूछा। कांग्रेस पार्टी तो वाक आउट करके चली गई और यहा पर विपक्ष की भूमिका तो हमे निभानी है।

स्पीकर साहब, एक तरफ तो हरियाणा प्रदे ा मे गेहू मंडियो मे या खेतो मे सड रही है ओर दूसरी तरफ गरीब समाज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है।

श्री अध्यक्षः रामकि ान जी, आप केवल बिल पर ही बोले। अगर आप बिल पर नही बोलेगे तो आपकी बात रिकार्ड नही की जाएगी।

श्री राम कि ान फौजीः स्पीकर साहब, किसी समय तो आप बोलगे का टाईम दिया करे। अगर आप किसी को बोलने ही नही देगे तो फिर आपने यह हाउस किसलिए बुलाया था? स्पीकर साहब, ि ाडयूल्ड कास्ट्स कैटेगरी के यहा पर 17 विधायक है लेकिन किसी ने भी अपने समाज के लिए एक बात नही कही है।

श्री अध्यक्षः रामकि ान जी, आप बैठे। ये बिल पर नही बोल रहे है इसलिए अब इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न) रामकि ान जी, अब आप बैठे।

श्री राम कि ान फौजीः स्पीकर साहब, ...(ाोर एवम व्यवधान)

अवि वास प्रस्ताव की सूचना

डा0 रघुबीर सिंह काद्यानः स्पीकर साहब, हमारी तरफ से सरकार के खिलाफ नेा काफिडैस मो ान दिए है। कृपया आप बताए कि उसका क्या रहा?

श्री अध्यक्षः आपका यह मो ान अभी 11.10 बजे मेरे पास आया है। आपका यह मो ान अडंर कैसीड्रै ान है। इस पर

मेरे दस्तख्त हो चुके है और मैने यह मो ान सरकार के पास कमैटस के लिए अभी भेजा है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी किसी सरकार के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव आता है तो उसके बाद कोई ओर बिजनैस नही हो सकता। हमने भी सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है इसलिए पहले सरकार को वि वास का मत हासिल करना चाहिए और बाद मे और काम करना चाहिए। यही नियम भी है और प्रथा भी है।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, इसके लिए तो आप टाईम निर्धारित करेगे और आप ही यह डिसाईड करेगे कि यह मो ान एडमिट होगा या नही होगा। यह तो बाद की बात है। अभी जो बिजनैस ट्राजैक्ट हो रहा है यह केवल स्पीकर साहब, की मर्जी से ही रूक सकता है। लेकिन यह बात जरूरी नही है कि अभी बिजनैस को रोका जाए। यह तो स्पीकर साहब की मर्जी है कि वह कब उस मो ान को टेकअप करे।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, पहले हमारे अवि वास प्रस्ताव को टेकअप करे।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी को भाायद याद नही रहा है लेकिन मै इनको बता देता हू। पिछली दफा भी ये सरकार के खिलाफ नो

कांफीडैंस मो ान लाए थे। उस समय भी हमने कहा था कि इस पर फौरन चर्चा की जाए लेकिन ये उसको मूव करके डिस्क ान से पहले ही भाग गए थे। आज ये कह रहे है कि चर्चा पहले करो उस दिन कर रहे थे कि चर्चा बाद मे करो। हमने यही कहा था कि पहले नो काफीडैंस मो ान पर चर्चा हो बाद मे किसी और बात पर चर्चा हो। आज ये दूसरी बात कह रहे है कम से कम अपने आप मे तो क्लीयर हो जाया करे। आपके नो कांफीडैंस मो ान का हम स्वागत करते है और अध्यक्ष महोदय, को कहेगे कि इसको एडमिट कर ले, यह अध्यक्ष महोदय, की मर्जी है कि इसको कब एडमिट करे और कब का समय दे।

चौधरी भजन लाल: सरकार के खिलाफ नो काफीडैस मो ान आ चुका है इस पर पहले चर्चा भाुरू होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अब आप सुनिए कि रूल्स आफ प्रौसीजर एंड कडक्ट आफ बिजनैस इन दि हरियाणणा लैजिस्लेटिव असैम्बली के रूल 65द (1) मे इस बारे मे दिया हुआ है—

(a) leave to make the motion must be asked for after question and before the business on the list for the day is entered upon;

(b) the Member asking for leave just before the commencemnet of the sitting of the day leave with the Secretary a written notice of the motion which he proposes to make.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जब मै मुख्यमंत्री था उस समय मैने कम से कम 18 अवि वास प्रस्ताव झेल रखे है और जब भी अवि वास प्रस्ताव आता था तो सबसे पहले खडा होकर मे कहता था कि पहले हम हाउस का मत हासिल करेगे, बाद मे सरकारी काम करेगे। इसलिए पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए (विघ्न) पहले इसका फेसला करिए, बाद मे सरकारी कार्य करिएं यही कायदा हे यही प्रथा है। आप चाहे तो पिछला रिकार्ड निकलवाकर देख ले।

श्री अध्यक्षः यह मो ान अन्डर कंसीड्रैसन है। यह प्रथा नही है।

चौधरी भजन लालः रिकार्ड मे है, सैक्रेटरी आपके नीचे बैठे है इनसे आप रिकार्ड दिखवा ले।

Mr. Speaker: The Matter is under consideration. जो बिल चल रहा है उसको चलने दे।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः हमने तो पहले भी कहा था जब आप कहा करते थे कि सरकार की उल्टी गिनती भ्रुरू हो गई है हमे पता तो लगे कि किसकी उल्टी गिनती भ्रुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, पहले बिजनैस खत्म किया जाए उसके बाद वोट आफ नो काफीडैंस पर चर्चा का समय दिया जाए।

चौधरी भजन लालः पहल बिजनैस भ्रुरू नही हो सकता। अगर बिजनैस भ्रुरू होता है तो यह मैंबर्ज के साथ

ज्यादती है। मान लिया सरकारी काम आप पास करवा ले और बाद मे सरकार गिर जाए तो इसको कौन मानेगा।

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाए। अकोरडिंग टू रूल सदन चल रहा है।

श्री मागे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्षः आप बिल पर बोले।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अभ मुख्यमंत्री जी कह रहे है कि पिछली विधान सभा के सै ान मे भी अपोजी ान की तरफ से नो काफीडैंस मो ान आया था और एडमिट किया तो अपोजी ान वाक आउट करके चली गई। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नही है। ऐसा हुआ था कि जैसे आप जिद कर रहे है वैसे ही उस दिन कर रहे थे आपने नो काफीडैंस तो एडमिट कर लिया लेकिन मुख्यमंत्री जी की एडवाइस पर यह फेसला लिया कि पहले बिजनैस हाउस का पूरा कर ले। बाद मे नो काफीडैंस पर बहस होगी। (ाोर एवम विघ्न) Speaker, Sir, on a point of order. I want to speak. हमे आज भी इस बात पर वाक आउट करना पडेगां आज भी आप यह कह रहे है कि पहले बिजनैस पूरा कर लेने दो फिर नो काफीडैस पर बहस कर लेना।

श्री अध्यक्षः आप मो ान लेट क्यो देते है। अंडर प्रोवोके ान तो आप कोई काम करते है, अपने मन से काम नही करते है।

Shri Mange Ram Gupta: Speaker Sir, this is our right, you cannot say this is a wrong way.जब हालत देखते है तभी नो काफीडैंस मो ान का नोटिस आता है लेट का या पहले का सवाल नही है। हम यह कह रहे है कि पहले हाउस को एडजर्न किया जाये। उसके बाद सरकार यह फेसला करे कि हमने जो कांफीडैंस मो ान का नोटिस दिया हुआ है वह एडमिट होगा या नही। उसके बाद हाउस का बिजनैस चलना चाहिये अगर बिजनैस पास ही कर दिया तो फिरनो कांफीडैंस मो ान का नोटिस देने का क्या महत्व रह जायेगा ?

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, अभी दूसरी सीटिंग भी होनी है तब देखेगे अब आप बैठ जाइये।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जब सरकार के खिलाफ लैक आफ कांफीडैंस है तो फिर आप बिजनैस क्यो चल रहा है? आपको अवि वास प्रस्ताव पर बहस करानी चाहिये।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, हर मो ान के लिए रूल्ज बने हुये है इसके लिए आपने ने सभी सदस्यो को यह रूल्ज पढ कर सुनाये है। विपक्ष को अवि वास प्रस्ताव का नोटिस या तो यह सदन बैठने से पहले या फिर

बिजनैस भुरू होने से पहले देना चाहिये था। उससे पहले अगर ये अपना नोटिस दे देते तो ठीक थां। लेंकिन इन्होने तो यह नोटिस उसके बाद दिया है। स्पीकर साहब, रूल्ज मे यह क्लीयर दिया हुआ है। ये रूल्ज हमारी विधान सभा की रूल्ज कमेटी द्वारा तैयार किये गये है कमेटी के फैसले का सभी माननीय सदस्य आदर करते है और आदर करना भी चाहिये। रूल 65 (1) (a) मे यही स्पश्ट लिखा हुआ है:—

"Leave to make the motion must be asked for after quesition and before the business on the list for the day is entered upon."

इसमे साफ लिखा है। प्र ानकाल समाप्त होने के तुरन्त बाद या अगला बिजनैस भुरू होने से पहले। स्पीकर साहब, बिजनैस लिया गया उसके बाद सप्लीमैटरी डिमाण्ड्ज पास हो चुकी है और उससे पहले बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पास हो चुकी है। प्र ानकाल समाप्त होने के बाद और बिजनैंस अडंरटेक करने से पहले अगर इसके बीच मे ये अपना अवि वास का मो ान देते तो ठीक था इसलिए वह वैसे भी इनआर्डर है उसके बावजूद माननीय मुंख्यमंत्री महोदय ने यह कहा है कि हम इस अवि वास प्रस्ताव के नोटिस को असैप्ट कर लेगे परन्तु पहले जो बिजनैस अंडर कंसीड्रे ान है उसको टेक अप कर लिया जाए इसलिए पहले बिजनैस की ट्रांजैक ान हो जाये उसके बाद अवि वास का प्रस्ताव बाकायदा मूव करेगे। इसका भी एक प्रोसीजर है प्रोसीजर के अनुसार काम करेगे अवि वास प्रस्ताव पर

बहस कराने की बात तो बाद की बात है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो बिजनैस अंडर कंसीड्रै ान है उसको पहले ट्राजैक्ट किया जाये। यह एज पर रूल है।

चौधरी भजन लालः .....

श्री अध्यक्षः जो भजन लाल जी कह रहे है वह रिकार्ड न किया जाये। मै पार्लियामैटरी अफेयर्स मिनिस्टर जी कहना चाहूगा कि वे कोई भी रूल अंग्रेजी मे पढने की बजाये हिन्दी मे पढा करे ताकि चौधरी भजन लाल जी की समझ मे आ जाये। अब इनकी समझ मे अग्रेजी मे कुछ आता नही इसलिए ये बीच मे बोलने के लिए खडे हो जाते है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अगर ऐसी बात है तो मै आगे से हिन्दी मे एक्सप्लेन कर दिया करूंगा।

चौधरी भजन लालः .....

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी जो बोल रहे है वह रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आपने जो बोलना है वह सही ढंग से बोलिय। एक दूसरे पर इस तरह की बात मत कहिये।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ जब अवि वास का प्रस्ताव आ जाता है तो कायदे के मुताबिक उसके बाद कोई भी बिजनैस नही हो सकता है और उस पर अवि वास प्रस्ताव पर डिस्क ान होनी चाहिए। परन्तु अगर सरकार की नीयत ठीक नही है तो क्या किया जा सकता है? हमने अवि वास प्रस्ताव की मो ान को बिजनैस भाुरू होने से पहले दे दिया था यह रिकार्ड की बात है।

श्री अध्यक्षः मै सभी माननीय सदस्यो की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि उस समय की सरकार के खिलाफ 12.8. 1969 को अवि वास प्रस्ताव लाया गया परन्तु उस प्रस्ताव पर बहस 13.8.1969 को की गई। इसी तरह 27.2.1970 को उस समय की सरकार के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव आया और उस पर 3.3.1970 बहस के लिए तय की गई। यह रिकार्ड की बात है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे यही कहना है कि जो सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव लाया गया है पहले उस पर बहस होने चाहिये। बाद मे सरकारी काम करना चाहिये।

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आपको काफी तजुर्बा है अब आप बैठने का तजुर्बा भी करे। आप बैठ जाईये।

मुख्यमंत्री(श्री ओमप्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने भाायद पढा नही है। आज एक मनी बिल

भी सरकार यहा पर ला रही है अगर विपक्ष चाहे तो उस पर भी वोटिंग करा सकती है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जब सप्लीमैंटरी डिमाण्डज पास हो रही थी तब माननीय विपक्ष के साथी हाउस से चले गये इसलिए इनको भाायद यह पता नही है कि आज एक मनी बिल भी इस सदन मे लाया जायेगा अगर विपक्ष चाहे तो उस बिल पर वोटिग करा सकती है।

चौधरी भजन लालः सप्लीमैंटरी डिमाडज तो 95–96 की है यानी हमारी वक्त की है 96–97 की बसीलाल जी के वक्त की है। ये डिमाण्ड्ज तो कायदे के हिसाब से पास होनी चाहिए थी।

प्रो0 सम्पत सिंहः भजन लाल जी, आप एग्री न करते, आप वोट करवा लेते।

चौधरी भजन लालः इन पर वोट नही हो सकती।

प्रो0 सम्पत सिंहः वोट हो सकती है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मै तो यह चाहता हू कि पहले अवि वास प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिए।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Quetion is-

That the Haryana Muicipal Corporation (Amendment) Bill be taken into conisderation at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Quetion is-

That Enactin Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Quetion is-

That Tile be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be Passed.

Finacne Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move.

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दि गुड कंडक्ट प्रिजनर्ज प्रोबे ानल रिलीज (रिपील) बिल, 2001

Mr. Speaker: Now, a Minister Will intorduce the Good Conduct Prisoners Probational Release (Repat Bill, 2001 and Will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce Good Conduct Prisoners Probational Release (Repat Bill, 2001.

Sir I also beg to move-

That the Good Conduct Prisoners Probational Release (Repat Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Good Conduct Prisoners Probational Release (Repat Bill, be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, ये जो अभी सम्पत सिंह जी बिल लाए है मै उस पर बोलना चाहता हू। हरियाणा के अन्दर आम लोगो मे यह धारण बनी हुई है कि यह सरकार हरियाणा के अन्दर जितने भी अपराधिक प्रवृति के लोग है। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, इसका बिल से कोई सम्बन्ध नही है इनको कहे कि ये पहले पढ ले। इसमे कोई प्री मैच्योर रिलीज नही है।

श्री अध्यक्षः करण सिंह जी आप सब्जैक्ट पर ही बोले।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै सब्जैक्ट पर ही बोलना चाहता हू। मैने कोई ऐसी बात नही कही। आप पहले सुन तो ले अगर आपको अच्छी न लगे तो मै नही बोलूगा। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार लोगो की नजर मे भला बनने के लिए जो बिल लाई है, मै उसकी बैक ग्राउंड बताना चाहता हू कि इसकी वजह क्या है। इसकी बैक ग्राउंड मै सदन के सामने रखना चाहता हू ताकि लोगो को पता लग सके। .....

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह जी, जो कह रहे है वह रिकार्ड न किया जाए। कर्ण सिह जी आप सब्जैक्ट पर ही बोले।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य बोलता है तो आप उसकी बात को रिकार्ड न करने के लिए कह देते है। यह ठीक नही है। हम हरियाणा की जनता की तकलीफो को यहां कहने के लिए आए है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने इस बिल मे रिपील करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इससे दिहाडीदारो को गुलामी से निजात मिलेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूगा कि इसके अतिरिक्त और भी बाईलाज है जो अग्रेजी के समय के बने हुए है जिनमे सं ाोधन की आव यकता है इसलिए इस सदन की एक कमेटी बनाई जाये जो यह देखे कि किन किन बाईलाज मे रिपील की आव यकता है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, गुलामी की नि ाानी को दूर करने के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है। कैप्टन साहब जो सुझाव दे रहे है उन पर गौर कर लिया जायेगा।

Mr. Speaker: Quetion is-

That the Good Conduct Prisoners Probational Release (Repat Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Quetion is-

That Enactin Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Quetion is-

That Tile be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be Passed.

Finacne Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move.

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. दि हरियाणा लोकल एरिया डिवैल्पैट टैक्स (अमैडमैंट) बिल, 2001

Mr. Speaker: Now, a Minister Will intorduce the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2001 and Will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2001

Sir I also beg to move-

That the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Quetion is-

That the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Quetion is-

That Enactin Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Quetion is-

That Tile be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be Passed.

Finacne Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move.

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

. दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैंट) बिल, 2001

Mr. Speaker: Now, a Minister Will intorduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2001 and Will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2001

Sir I also beg to move-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

श्री कृश्ण पाल (मेवला महारजपुर): स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा साधारण विक्रय कर (स ाोधन) बिल, 2001 लाया गया है उसके समबन्ध मे मै आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहुगा। हाल ही मै माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल याचिका न0 13967 आफ 2000 (मै0 गलैक्सी प्लाईवुड (पी) बनाम हरियाणा राज्य व अन्य) मे यह व्यक्त किया है कि एक्ट को पिछली तिथि से लागू नही किया जा सकता और यह माना है कि टैक्स प्रोत्साहन के अन्तिम अधिसूचना की तिथि के उपरान्त ही उपलब्ध होगा। लेकिन हरियाणा सरकार यह चाहती है कि सरकार की

पोलिसी तय करती है उस समय से सेल्ज टैक्स लागू हो। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पोलिसी तय करने और उसके बाद रूल्ज फ्रेम करने के बीच का जो अन्तर होता है उस समय को कवर करने के लिए सरकार सेल्ज टैक्स जब से पोलिसी तय की गई उस समय से लागू करने के बारे मे यह अमैडमैट लेकर आई है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब रूल्ज फ्रेम हो तब से सैल्ज टैक्स लागू माना जाना चाहिए। इस सम्बन्ध मे या तो सरकार ऐसा कुछ प्रबन्ध अथवा व्यवस्था करे जिससे कि पोलिसी तय करने और रूल्ज फ्रेम करने के बीच मे जो काफी समय का अन्तर होता है उसे कम किया जाए क्योकि इससे ऐसा लगता है कि जो विक्रय कर देता हे वह खरीददार देता है। जब खरीददार कर दे देता है तो उसके बाद अगर इसमे छुट दी जाती है तो सरकार की कौन सी ऐसी एजैसी है जो कर देने के बाद खरीददार को सेल्ज टैक्स वापिस पहुचाएगी। इसलिए जब से रूल्ज फ्रेम हो तब से विक्रय कर लागू हो न कि पोलिसी तय करते वक्त। अन्यथा कल को दूसरी बात आ जाएगी कि सरकार के दिमाग मे पहले से ही कोई कर लगाने की सोच थी। इसलिए समय के इस अन्तर को समाप्त किया जाए और इस बिल पर पुनर्विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस अमैडमैंट के माध्यम से सरकार की नीयत कुछ इंडस्ट्रीज का फायदा पंहुचाने की है। इससे हरियाणा सरकार के राजस्व को नुकसान होगा। मै चाहता हू कि इस पर पुनर्विचार हो।

चौधरी बसी लाल (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, सरकार हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैट) बिल, 2001 लेकर आई है, मै इसके बारे मे कहना चाहूगा कि इस बिल के ओब्जैक्ट्स एण्ड रिजन्स मे हाई कोर्ट के फैसले के बारे मे जो कहा गया है, मै समझता हू कि हाई कोर्ट का वह फेसला ठीक है। उसी फैसले को मान्यता दे देनी चाहिए बजाय इसके कि आप अमैडमैट करे क्योकि अगर यह अमैडमैट सरकार फाइनैि ायल बिल, को विद रिस्ट्रोपैक्टिव इफैक्ट लागू करना चाहेगी तो इस एक्ट के जरिए फाइनैि ायल बिल विद रिस्ट्रोपैक्टिव इफैक्ट लागू नही हो सकता, मै समझता हू कि हाई कोर्ट ने जो फेसला दिया है that should be hold vaild.

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री कृश्ण पाल गुर्जर तथा चौधरी बंसी लाल जी ने हाई कोर्ट के फैसले का प्र ान उठाया है। स्पीकर साहब, वह इसैन्टिव देने की बात नही है, हम इस अमैडमैट के माध्यम से किसी को कोई इसैन्टिव नही दे रहे है। जो अंग्रेजी भाराब है वह चाहे हमारे यहां बनती है चाहे हम इम्पोर्ट करते है उन दोनो के ऊपर सेल्ज टैक्स लगाने की बात है। पहले यह बात ि ाडयूल ''बी'' मे थी जो कि हम ि ाडयूल ::बी'' से निकाल रहे है। क्योकि भारत सरकार की सैन्ट्रल टैक्सिज को रै ानलाइज करने के लिए जो कमेटी है उनकी डायरैक ान्ज आई है कि आप इन पर भी सेल्ज टैक्स लगाये। इसलिये हम किसी को कोई इंसैन्टिव नही दे रहे है बल्कि सेल्ज टैक्स लगाने की पंावर गवर्नमैंट ले रही है। जो अग्रेजी

भाराब यहा पर बनती है उस पर भी और जो भाराब बाहर से आती है उस पर भी सेल्ज टैक्सी लगाने की इजाजत दी जा रही है। यह बात ि ाडयूल ''बी'' मे से निकाली जा रही है और बाकायदा रेट के हिसाब से 500 रूपये तक की बोतल के ये रेट होगे और उसके बाद ये रेट होगे। इस लिये किसी को कोई इंसैन्टिव नही दे रहे है बल्कि सेल्ज टैक्स लगाने की बात है।

श्री कृश्ण पालः अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे है यह मूल अधिनियम की अनुसूची ''ख'' के बारे मे कह रहे है। जो हमने कहा है वह मूल अधिनियम की धारा 64 मे जो उपधारा 2 है उसके बारे मे कह रहे है। इन दोनो मे बडा भारी अन्तर है। हमने भाराब के बारे मे कभी नही कहा। हमने बिक्रीय कर की पाईप लाईन जो फैक्टरियो को दिया जा रहा है, उसके बारे मे कहा है।

श्री अध्यक्षः आप यह देखे कि अमैडमेंट क्या लाई जा रही है, उसके बारे मे आप देखे।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसमे किसी को छुट देने की, किसी का पक्ष लेने की या इस तरह की कोई और बात नही है। ये सारी बाते निराधार है। केवल मात्र जैसा कि मैने बताया कि अंग्रेजी भाराब पर जो पहले ''बी'' ि ाडूयल मे थी अब उस पर सेल्ज टैक्स लगाने की बात है, इसके अलावा और कोई अमैडमेंट नही है।

श्री कृश्ण पालः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कहा है, उसके संबध मे मै इस बिल के वितीय ज्ञापन मे से कुछ पढ कर सुना देता हू–

'' कर कर आधारित प्रोत्साहानो के बारे मे जो पहले ही उधोगो को दिया जा चुका है तथा उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से पहले पाईप लाईन मे उधोगो को दिया जायेगा, की यथा स्थिति की बहाली के लिए सं ाोधिन प्रस्तावित है।''

यह इसमे लिखा हुआ है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै स्पश्ट करना चाहता हू कि ईण्डस्ट्रीयल पालिसी जिस दिन से लागू हुई थी उसी दिन से जिनका जो इन्सेन्टीव था, लागू होता है, बाद मे लागू नही होता। हम इस अमैडमैट के जरिए आज से या अलग से किसी को कोई इन्सेन्टीव देने नही जा रहे। कहने का मतलब यह है कि ईण्डस्ट्रीयल पालिसी जिस दिन से लागू हुई है उसी दिन से दे रहे है। किसी को सिंगल इन्सेन्टिव या किसी ईण्डस्ट्रीयज को सिगल आउट करके किसी को कोई फायदा नही दिया जा रहा है।

श्री कृश्ण पालः स्पीकर साहब, मै कह रहा हू पालिसी तय करने के बाद जब रूल्ज फ्रेम हुए तो उसके बीच का जो समय है उस दौरान खरीददारो ने माल खरीद लिया और उन्होने विक्रय कर दे दिया तो उसके बाद सरकार की कौन सी ऐसी एजेन्सी है

जो खरीददारो को सेल्ज टैक्स वापिस पहुचांएगी। सरकार अब जो अमैडमैट करने जा रही है, उससे तो केवल उधोगपतियो को ही फायदा होगा। मै जानना चाहता हू कि जिन खरीददारो ने माल खरीद लिया उन तक आप फायद कैसे पहुचांएगे, आप जरा यह हमे बता दें।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मै इनकी बात समझ नही पाया कि किस को क्या फायदा कैसे जायेगा?

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब,'..... (ाोर)

श्री अध्यक्षः ये जो कह रहे है वह रिकार्ड न किया जाये।

Mr. Speaker: Quetion is-

That the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-6

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 6 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Quetion is-

That Enactin Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Quetion is-

That Tile be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be Passed.

Finacne Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move.

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

.5. दि पजांब न्यू कैपीटल (पेरिफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 2001

Mr. Speaker: Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2001 and Will also move the motion for its consideration.

नगर एवम ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिह): अध्यक्ष महोदय, मै दि पंजाब न्यू कैपिटल (पेरिफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 2001 प्रस्तुत करता हू।

मै यह भी प्रस्ताव करता हू कि –

दि पंजाब न्यू कैपिटल (पेरिफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Clause-2

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Quetion is-

That Clasue 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Quetion is-

That Enactin Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Quetion is-

That Tile be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be Passed.

नगर एवम ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिह): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हू कि–

बिल पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned till 2.00 P.M today.

11.45 hrs.

(The Sabhan then adjourned till 2.00 P.M today, the 12th June, 2001)